MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

The Schedule

SHRI A. K. SEN: Sir, I move:

"That at page 10, after line 23, the following be inserted, namely:—

'196A 1927 The Indian Church Act, 1927 (17 and 18 Geo. 5 c. 40).'"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI A. K. SEN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed"

The question was put and the motion was adopted.

THE DOWRY PROHIBITION BILL, 1959—*continued*

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, many of the hon. Members here would have forgotten that the Dowry Prohibition Bill is on the anvil of this House except those who might have performed the marriage in-between of their daughters or sons. The question of dowry seems to have been lost in almost all our minds except those who have been reminded of it just a day before . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Not by all . .

SHRIMATI YASHODA REDDY: I am sorry, there may be honourable exceptions like Mr. Akbar Ali Khan but many have completely forgotten that the Dowry Prohibition Bill was here and I had been part heard. This Bill has come to us after being passed by the Lok Sabha and they have amended it with regard to 2 or 3 clauses The most important of it, as I was saying in my last speech, referred to clause 4.

THE MINISTER OF LAW (SHRI A. K. SEN) May I remined the hon. Lady Member that it has not been sent or returned by the Lok Sabha as passed but it came once before with the same amendments? Then the Rajya Sabha made certain amendments to that . Those amendments went back to the Lok Sabha and they have refused to accept them and it has therefore come back again here.

SHRIMATI YASHODA REDDY: I am not denying it. After we passed it, the Lok Sabha sent it back with some amendments and it has come back. I stand corrected. But in the Bill as it has come to us now, there are three important amendments of which I would like to deal first with clause 4 which has been reinstated in the other House, and very correctly so, though many of our Members here have said that clause 4 should be deleted. I will deal with clause 2 and the Explanation later. When I deal with clause 4 and when I went through the speeches of hon. Members, one thing struck me that there was one objection to clause 4. Clause 4 makes provision for penalty for demanding of the dowry, not for taking or giving but even for demanding. And many hon Members object to this being introduced here mainly for one reason, namely, that it would lead to harassment. This word "harassment" seems to have harassed many hon. Members of this House, so much so that they have been speaking of reasonable harassment, inevitable harassment, imaginary harassment and

so on, and so many arguments have been put forward It was said that uneducated people, people in the villages, would be harassed unnecessarily Sir, if I may put it in that way, I may say that this Bill and this clause in particular will relieve women in India of the harassment which they have been having for all these centuries, women in particular and fathers of daughters who have to be married

SHRI P N SAPRU (Uttar Pradesh) Compulsory marriages?

SHRIMATI YASHODA REDDY I could not hear the hon Member I may not get them married Marriage is not in my hands, nor are they in the hands of my hon friend, Shri Sapru Sir, last time also the hon Member, Shri Sapru—you will excuse me Sir, for referring to it for a moment—said that if not for any other thing, we must oppose the suggestion of the Lok Sabha, at least for this one reason, that we were a House of Elders that we were wise people That is to say it is a question of prestige Whether an amendment is good or bad, whether it is reasonable or unreasonable, is not the point, but it is not to be accepted Is that an argument to be put forward by an hon Member like Shri Sapru? When I said that they were not good arguments, my hon friend was enough to say "This young lady is developing wisdom" I may also submit Sir, that grey matter and grey hairs do not necessarily go together

Now—to come back to clause 4—it is said there will be harassment if the demand of dowry is punishable But how to prevent the taking of dowry? The demand of dowry is the essence of the thing Without the demand, where is the taking of it? We all know that wherever there is social legislation, there is always some harassment Then are we going to say that all these social legislations should be thrown overboard for ever because there is harassment? Of course, harassment will be there In the case of income-tax, the rich man feels that it is a harassment If you limit liberty, it is harassment to some Are we going to do away with all this because there is harassment complained of?

SHRI P N SAPRU You will bring forward a Bill for compulsory sterilisation Why not for compulsory marriages also?

SHRIMATI YASHODA REDDY What I will do or will not do when I become a Minister or something else is a different matter Now I am speaking on this Bill and I do not want to waste my time in trying to argue with Shri Sapru though I have great respect for him

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar) He has a judicial mind

SHRIMATI YASHODA REDDY He has a judicial mind and I am also developing a judicial brain This clause, I feel, is going to be the main insurance against any misuse of the provisions of this measure I feel that this clause 4 which has been rightly inserted by the Lok Sabha is going to stand there as a kind of insurance against the misuse of this Bill

Sir, any Bill that we pass should have three aspects There are three specific things The measures should be preventive, they should be punitive and they should be deterrent The first two are important and the third is even more important because in a social legislation unless there is something deterrent, it will not be implemented The drawback in all our social legislations has been that their implementation has been so indifferent In this clause the demanding of dowry has been made penal The person demanding dowry has been made punishable with imprisonment for six months or fine up to Rs 5 000 and this is going to deter many people from demanding dowry either directly or indirectly

Another argument put forward by hon Members is that undue advantage will be taken of it But I submit undue advantage is likely to be taken by some people whatever law

[Shrimati Yashoda Reddy.]

may be passed However intelligent Parliament may be, there are cleverer people outside and cleverer advocates are also there to circumvent the law

Another argument which does not hold water and which is put forward by hon Members like Shri Sapru is that we will be throwing open the door to blackmail by inserting this clause here I do not see how by inserting this clause we will be throwing open the door to blackmail If there is blackmail what are the courts there for on which we spend so much money and where we have the best men appointed as judges and advocates? Just because there is a complaint, judgment will not be delivered without going into the question of blackmail Evidence will be taken and witnesses will be examined If courts are going to determine cases just because of a complaint, then they are not worth their name

Another hon Member asked 'Are you going to make marriages happy by legal sanction?" I think Mr Sapru also asked, "Are you going to purify all these marriages by this Bill?" Well, I do not think by legal sanctions marriages can be made happy No reasonable person will expect that, but I would like to say this much here In India, let marriages not be tarnished by money motives. Let not monetary motives be the guiding principle in these marriages As you know, Sir, all social legislation is in the nature of a bold adventure I know there are hon. Members who say that social education has been most ineffective But whatever it is, we should take a step forward somewhere Parliament should not only reflect the public opinion, but it should also lead public opinion We should here tell the people that such and such a thing is an evil, that the system of dowry is a social evil, that it is a bad thing It is for us to lead the people so that they may get out of this evil This evil should go, if not today, then tomorrow Slowly—maybe after generations—that day will come But somewhere we should take the first step and so I submit when we pass this Bill, let it be as strict as possible with as little loopholes as possible Therefore, I congratulate the hon Members of the other House I am not one of those people who stand only on a question of prestige. Because I am in the Rajya Sabha, why should I say "No" to everything that is said by the Lok Sabha? And if we say "No" to whatever the Lok Sabha says and if the Lok Sabha says "No" to everything that we say here, then where will we be? I do not know We should not deal with a legislative measure in a retaliatory manner We should be a little more parliamentary, a little more accommodating, when dealing with this measure and, therefore, I request hon Members to accept the amendment of the Lok Sabha and restore clause 4

The second important point is in clause 2 The Lok Sabha has removed the words "either directly or indirectly" occurring in line 9 The hon Law Minister who was in charge of the Bill here accepted these words, and I do not know what considerations made him accept their deletion in the other House While moving these amendments for consideration in this House, he said that it would not make any difference if the words remained there or not If it is so, if they are not going to make any difference, then let these words remain there. There are so many ways of demanding dowries When you have said that dowry should not be taken, then let us have the words "directly or indirectly". These words were inserted in this House after a very great deal of deliberation, and these words should be inserted again

The third point relates to the Explanation On this, there has been a great deal of difference of opinion One of the Lady Members here, who is a great champion of feminism, Mrs Seeta Parmanand, herself did not want it Mr Bhupesh Gupta often excels himself when party lines are not there, and on this subject he made

a very good speech, it was one of his masterpieces, I should say He said that this Explanation would nullify the whole object My humble suggestion is that this would in no way affect the Bill The first and most important principle behind dowry is that it is not a voluntary gift, it is not a gift If you would kindly read the Explanation, this is what it says

> For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties."

We are not going to prohibit the voluntary gift of any article by a father to his daughter Any man can give his property to his son/or daughter at any time but the question is only in regard to situations where money is demanded as a consideration for marriage. This does not really apply to rich people who have got a lot of money; in spite of legislation, they will give money to their sons and daughters This Bill applies to the poor people, the middle and the lower middle classes where they have no money and where it is demanded as a consideration for the marriage of girls

SHRI D A MIRZA (Madras) I want a clarification from the hon Member If a rich man offers a substantial amount of jewellery to his daughter, should that be considered as gift or dowry?

SHRI A K SEN The facts have not been put properly, if I may say so with respect A mere offer would not be penalised unless it is an offer in consideration of marriage and it is accepted as such by the other person Mere offer is not penalised under the Act

SHRI D A MIRZA: Suppose there is a secret understanding between the two parties that the dowry given by the bride's father will be treated as a present, I want to know how this transaction will be treated Will this be treated as dowry or as a present?

SHRI A K SEN It will be dowry.

SHRI D A MIRZA Then this means that we are indirectly encouraging dowry

SHRIMATI YASHODA REDDY Sir, the hon Member who interrupted me just now usually gets confused when there is no confusion, but I thought in this respect, as a father of many daughters, he would understand, but I am sorry to say

SHRI D A MIRZA The hon Member herself is confused

MR. DEPUTY CHAIRMAN Mr. Mirza, you can speak later on if you want Do not interrupt

SHRIMATI YASHODA REDDY When a person listens to a speech clarification will come but when a person goes on interrupting in between, then nothing will come

If a father wants to give some property to his daughter, nobody is going to prevent it, but if it is part of a secret understanding between the bride's father and the bridegroom's father, if it is an indirect transaction, then naturally the courts would find out the facts Every case has to be dealt with separately and the courts would come to a decision on each one of them on the facts

(Interruption.)

SHRI D A MIRZA· Who will go to court?

SHRIMATI YASHODA REDDY: The father who is harassed, the bride who is harassed. If they are harassed, they will go. I am sorry Members do not understand it If they come over to the Lobby, I shall make it plainer still Let me proceed with

[Shrimati Yashoda Reddy]

my argument now The whole question is whether it was given voluntarily or whether it was given in consideration of marriage There is difference between money given at the time of marriage in consideration of marriage and money given later on as a present, for example, a person marrying where money is If there is a rich heiress, and if she is the only daughter, then people know very well that all this money would come to her one day Her hand may be asked by anybody and there is nothing wrong in it Money will come to him, but not as dowry It is different from marrying for money Here, he is marrying where money is There are cases where people demand Rs 10,000 or Rs 20,000 because they are graduates A man says, "I am a graduate and my exchange value is Rs 25,000 I am an engineer and my value is Rs 40,000" These are the rates prescribed Hon Members said that this Explanation would nullify the whole of the Act I do not quite agree with this suggestion because the courts will determine as to whether money was given voluntarily or as consideration for marriage My hon friend here asked as to who would go to the court Where women have been ill-treated, where they have not been taken back from their fathers' houses,—in those cases—they will not hesitate to go to a court and give a complaint against the person or persons harassing them I feel that this Explanation is quite necessary and it is not going to nullify the effects of this measure On the other hand, it is going to make explicit as to what is a dowry and what is a present

One word more, Sir, and I will have done. Mr Pathak, an eminent lawyer and a constitutional expert, speaking on this Bill, said that we could not have this prohibition of dowry because this was in conflict with the fundamental right of a person to alienate his property Nobody is saying that you should not alienate your property, nobody questions your right to acquire property Even then, Sir, the State may impose reasonable restrictions on these things I maintain, Sir, that there is nothing to prevent the alienation of property The important thing he said was that dowry had been recognised as a customary rite Even in the Special Marriage Act, the customary forms of marriage have been recognised He also said that dowry had been recognised as a customary rite, and he quoted a case law, 1954 Orissa, page 17—the Chief Justice's decision In that, dowry has been defined as a customary rite, and he asked, "If, in the Special Marriage Act, customs have to be taken cognizance of, how can you today prohibit dowry?" With due respect to the hon Member,

MR. DEPUTY CHAIRMAN You can continue at 2 30 P M

The House stands adjourned till 2 30 P M

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

SHRIMATI YASHODA REDDY Sir, I was just telling hon Members that as far as the words "directly or indirectly" are concerned, they should be inserted in clause 2 And just now I have received a copy of the amendment proposed by some Members of the Opposition; anyway, I have already said that those words should be put in there as they were when we sent this Bill to the Lok Sabha

One more thing that I would like to say before I sit down is with reference to Mr Pathak's speech This is what he said when dealing with this Bill last time here I will just read out a few lines for the information of hon Members

"One of the points which deserve consideration is this. When section 7 of the Hindu Marriage Act says

that the marriage can be performed according to the customary rites and ceremonies, if payment of money or transfer of property in consideration of marriage is one of the customary rites which have to be performed in the case of certain marriages in the country—and there is a custom prevailing and the Hindu Marriage Act permits it—is it proper, without declaring those marriages void ..."

As for the decision of the Chief Justice of Orissa, he says that after due discussion they have come to the opinion that dowry is a part of a customary rite So, as it is a customary rite and as we have giving permission, or rather as we have recognised customary forms of marriage as per section 7 of the Hindu Marriage Act, now to prohibit dowry which is a customary rite will be improper My submission to the House in this connection is that even if there is a custom, the custom should always give place to enacted law. This is an accepted principle of jurisprudence. Moreover when my hon. friend was referring to this particular decision of the High Court, I do not think he placed before the House all that their Lordship said They have also said there in the decision that the custom of receiving bride price is so well established throughout the country that it is too late in the day to invalidate a marriage on the ground of public policy nor can such a marriage be held to be immoral or illegal—and this is very important—in the absence of a statutory enactment prohibiting the custom expressly. This will show that the contention of Mr. Pathak does not hold any water Moreover I do not think that giving of dowry is any part of a ritual or a customary rite; even if it is so, when we are enacting a special law saying that dowry is to be prohibited, this decision has no relevancy to this particular matter.

Sir, for the above reasons, I would like to place before the House that I welcome the inclusion of the words 'directly or indirectly' in clause 2 and also the retention of Explanation. I would also ask Members to reinstate clause 4 or uphold the reinstatement of clause 4 which Lok Sabha has done.

Sir, for a variety of reasons people want a joint session; some people want a joint session just for the fun of it; some others to uphold the prestige of this House so as not to say 'yes' to what the Lok Sabha has said. But on merits also we cannot agree to all the amendments made by the Lok Sabha though to a great extent they have been very correct in suggesting these two amendments. We will have to have a joint session in case the need arises and I hope the House will ask for it as we cannot *in toto* agree to all the amendments made by the Lok Sabha

SHRI MAHESH SARAN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, this measure is welcome because we know what difficulties the parents of the girls are facing these days. They have to sell their houses; sometimes they have to mortgage their property and sometimes they have to go practically on the streets in order to get their girls married. Therefore, it is necessary that some measure should be there which should put a stop to this practice of dowry. Now, there are different ways for getting dowry and we should be careful to see that all the doors through which this money goes must be closed. These were the considerations which led this House to make the amendments which have been rejected by the other House. I therefore, feel that so far as we are concerned it is necessary that those amendments should stand.

Now, the first amendment which has been thrown out by the other House is in respect of the definition of dowry. We said that "dowry" meant any property or valuable security given or agreed to be given, either directly or indirectly. I attach great value to the words "directly or indirectly" because there are so many ways that

[Shri Mahesh Saran]

are now found out to get dowry and any way through which dowry comes in must be stopped Therefore, it is necessary that dowry should be banned not only when directly given or asked for but also when we find that though it does not seem that any dowry has been taken but in reality it has been taken in an indirect manner For example during marriages people ask for first class railway fare for 200 people This is not dowry at all, this can come under the head 'expenses" but this is certainly another way of extracting money from the parents of the girl Therefore, to stop these loopholes it is necessary that the words "directly or indirectly" should be there so that there may be no method by which dowry may be demanded

So far as Explanation is concerned, I think it is absolutely necessary that this should go Explanation I says

> 'For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties"

Now, although the words "as consideration for the marriage of the said parties" are there, the very fact that these things are given will show that people who have not enough money with them will not easily agree to give these things unless forced to do so There are certain things which are said to be part of the ritual; for example, the nose ring, the *tikka* saree and other things Of course, these things are absolutely essential but they cost nothing When we find in marriages that poor people make gifts of valuable ornaments, cash, clothes etc, it is absolutely clear that though it may be said that they have given these things of their own free will, they are really in consideration of marriage So, if we have this Explanation, the very basis on which we stand goes away This will give a loophole for the bridegroom's parents to get a lot of things in the form of cash, ornaments, clothes and other articles which generally the girl's parents would not give But they will be compelled to give them, although they will not accept that it is in consideration of marriage They may say that it is given out of sweet will Now, we know all over the country how difficult the marriages of girls are becoming, girls of poor people, because they cannot afford to give all these things Therefore, if we want that this law should really be effective, it is absolutely necessary that the Explanation should be removed

Now, so far as clause 4 is concerned, I think this also should be omitted Clause 4 says:

> 'If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both"

It is the giving of dowry and passing of money from the pocket of the parents of the girl which is really a troublesome job If we keep this clause, then any Tom, Dick and Harry can get up and say that so much money was demanded, although no money has passed It will be a case of great harassment to either party and, therefore I think that so far as clause 4 is concerned, it should be omitted.

I know that if we stick to the old form in which the Bill was sent to the other House, probably a joint session may be necessary, but as these changes are very essential and as the very purpose of this Bill will be frustrated, if we do not insist on these three

changes, I think it is our duty to adhere to the three suggestions made by this House.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर प्रदेश) उपसभापति महोदय, आज लोक सभा द्वारा किये गये कुछ संशोधन हमारे सम्मुख विचार के लिये प्रस्तुत है। प्रश्न यह है कि हम उन संशोधनों पर किस दृष्टि से विचार करेंगे ? कुछ महीने हुए हमने इस बिल के अंदर कुछ परिवर्तन करके लोक सभा को भेजा था। लोक सभा ने हमारे किए हुए परिवर्तनों को नहीं माना, नामंजूर कर दिया। और इसलिये हम भी उनके किये हुए जो परिवर्तन है उनको नामंजूर कर देंगे, यह हमारा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। कोई बदले की भावना या प्रेस्टीज या शान की भावना

श्री किशोरी राम (बिहार) हमने तो मुनासिब परिवर्तन उनको भेजे हुए थे।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल . हमारे विचारों का आधार नहीं होना चाहिये। तो फिर इन संशोधनों की नापतौल की कसौटी, क्या होगी ? मुझे तो एक ही कसौटी उचित दिखायी देती है और वह यह कि आखिर, श्रीमन्, हर एक विधेयक, हर एक कानून, समाज की किसी समस्या को, किसी प्राब्लम को हल करने के लिये लाया जाता है। इसलिये जो दहेज की समस्या हमारे सामने है उसको हल करने में लोक सभा के भेजे हुए जो संशोधन मदद करते है उनको तो हम मान ले लेकिन जो संशोधन या जो प्रस्ताव उस समस्या को हल करने में रोडा अटकाते है, बाधा डालते है उनको हम हरगिज नहीं मान सकते। इसके अलावा क्योंकि ये प्रस्ताव लोक सभा से आए है इसलिये हम इनको मान ले, या जाइन्ट सेशन होगा उस कठिनाई से सरकार को बचाने के लिये हम उन संशोधनों को मान ले इस प्रकार का दृष्टिकोण भी कुछ जचता नहीं। तो मैंने आपके सामने निवेदन किया कि हमारा असली मापदंड इन संशोधनों को देखने का तो केवल यही होना चाहिये कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिये, जिस प्रश्न को हल करने के लिये, यह विधेयक लाया गया है उसको वे संशोधन, वे अमेन्डमेन्ट्स कहा तक पूरा करते है। इस पृष्ठभूमि में अगर हम लोक सभा के संशोधनों को देखते है तो जहा पर एक्सप्लेनेशन के बारे में जो पहला संशोधन रखा है उससे मुझे यह लगता है कि एक्सप्लेनेशन अगर इस बिल के अंदर रहता है तो यह बिल किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। अर्थात् दहेज की जो समस्या है उसको यह विधेयक हल नहीं कर सकता। समस्या क्या है ? हमारे सामने जो समस्या है, श्रीमन्, वह दहेज की समस्या है और यह समस्या आज सभी लोगों के लिये है। सिर्फ कुछ थोडा सा धनिक वर्ग जो है, एक रिच तबका जो है सोसाइटी का, उनके लिये तो दहेज की समस्या नहीं है, उनके पास काफी रुपया है और वे खूब अपने रुपये का प्रदर्शन करना चाहते है, उसका लैविश डिसप्ले करना चाहते है—शादी के वक्त ज्वेलरी देकर, इधर उधर की चीजे देकर, कार देकर, रेडियो देकर, रेफरेजिरेटर देकर। तो उनके लिये यह जो दहेज की परिभाषा दी हुई है उसके बावजूद भी वे दे सकते है। लेकिन समस्या जो इस वक्त हमारे सामने है वह है मिडल क्लास के लोगों की। श्रीमन्, आज हालत क्या है ? आज हालत यह है कि जहा हमने यह आशा की थी कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ दहेज की प्रथा भी खत्म होती जायेगी वहा हालत यह है कि शिक्षा जैसे जैसे बढती जाती है वैसे वैसे दहेज की प्रथा ज्यादा भयकर रूप धारण करती जाती है, नए नए रूप धारण करती है। जैसे जैसे लडके की ज्यादा एजुकेशन होती जाती है वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढता जाता है। आई० ए० एस० के लिये दहेज ज्यादा होगा, एम० एस० सी० का उससे कम होगा और बी० ए० का इससे कम होगा। तो इस प्रकार शिक्षा के साथ दहेज की प्रथा और भयकर रूप धारण करती जा रही है, समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

ڈاکٹر راج بہادر گوڑ (آندھرا پردیش) : نوکر ہے تو اور بھی زیادہ -

†[डा० राजबहादुर गौड़ (आंध्र प्रदेश) : नौकर है तो और भी ज्यादा ।]

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : हां, नौकर है तो और भी ज्यादा । इसलिये हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि किस प्रकार इस मिडल क्लास को, जिनके लिये दहेज की एक समस्या बनी हुई है उनको, संरक्षण दिया जाय, उनकी सहायता की जाय, उनकी समस्या को हल किया जाय । तो एक्सप्लेनेशन जब हम इसमें लगाते है तो उसके क्या मानी होते है । श्रीमन्, उसके यह मानी होते है कि दहेज के वक्त जो प्रेजेन्ट्स दी जायेंगी उसमे ज्वेलरी भी दी जा सकती है, रुपया भी दिया जा सकता है, कपडे भी दिये जा सकते हैं । इसके मानी यह है कि हमारी ज्यादा चिन्ता उन लोगों के प्रति है जो अमीर है । मैं शायद आपको अपना आशय पूरी तौर से नही समझा पा रही । मेरा मतलब है हम चाहते तो हैं कि इस कानून द्वारा मिडल क्लास को संरक्षण मिले, जिसके लिये दहेज एक समस्या बनी हुई है और उसकी वजह से मिडल क्लास के लोग काफी सताये जा रहे है, पीडित है, मफर कर रहे है । जो रिच अपर क्लास है उसके लिये तो कोई प्राब्लम है ही नही । लेकिन एक्सप्लेनेशन से क्या होगा ? एक्सप्लेनेशन का मतलब यह होगा कि आम असर जो जनता पर पडेगा, लोगों पर जो आम असर पडेगा वह यह कि दहेज मे सब कुछ दिया जा सकता है । रुपया भी दिया जा सकता है, ज्वेलरी और कपडा भी दिया जा सकता है-अच्छी तरह से दिया जा सकता है, कोई रुकावट नही है, कोई लिमिटेशन नही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह एक्सप्लेनेशन रहता है त यह बिल बेकार हो जाता है । चूंकि इस समय समाज के अन्दर दहेज देने की जो प्रवृत्ति है इसलिए दहेज देना कोई बुराई नहीं समझा जा रहा है, एक प्रतिष्ठा की बात समझी जा रही है, यह स्टेटस को बढ़ाने वाली चीज़ मानी जा रही है । समाज के अंदर जो यह मनोवृत्ति काम कर रही है, उस मनोवृत्ति को देखते हुए इस कानून को सख्त से सख्त बनाना चाहिये । एक जबरदस्त चोट लोगो के कान्शेन्स को एटेक करने के लिए हमे इस कानून द्वारा डालनी पड़ेगी । तब उनमे जागृति पैदा होगी । क्योंकि इस वक्त जो हालत है वह यह है कि हर एक आदमी न दहेज देना बुरा मानता है, न दहेज लेना बुरा मानता है और यह समझा जाता है कि यह प्रतिष्ठा की बात है, प्रेस्टीज की बात है, शान की बात है । यदि शादियों में दहेज कम दिया जाता है या बिल्कुल नही दिया जाता है तो वह नीचे दर्जे की बात मानी जाती है ।

श्री जशोदर्सिंह बिष्ट (उत्तर प्रदेश) : आप इस बात को साफ करें ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : वालंटियरली, खुशी से देना, श्रीमन्, श्री बिष्ट कहते है कि इस बात को साफ करो । मैं क्या साफ करू ? यह कानून की जो डैफिनिशन है वह अपने आप साफ कर रही है ।

श्री जशोदर्सिंह बिष्ट : ला मिनिस्टर ने भी उस समय कहा था कि अगर एक्सप्लेनेशन चला भी जाता है तब भी उसमे कोई असर नही पड़ता है ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : अगर एक्सप्लेनेशन चला भी जाता है तब भी हमारी दहेज की परिभाषा पर इसका कोई असर नही पड़ता । हमारी जो डैफिनिशन है वह काफी सेल्फ सफिशियन्ट है और उसके अन्दर वालण्टियरी गिफ्ट प्रेम से दिया जा सकता है, जिस चीज में मजबूरी नही होती है वह दिया जा सकता है ।

श्री जशोदर्सिंह बिष्ट : पौइन्ट यह है कि डिसप्ले कम्पलसरी मे भी होगा, वालण्टियरी में भी होगा ।

†[ ] Hindi transliteration.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल डिसप्ले बिल्कुल बैन होना चाहिये । मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि अगर इस कानून द्वारा एक्सप्लेनेशन को हटा लिया जाता है तो जो साइकालाजिकल बन्धन है, वह जो अमीर तबका है उसके ऊपर भी बना रहेगा । वह लैविश डिसप्ले शादी के वक्त नहीं कर सकेगा । आपको यह जानना चाहिये ज कोई आदमी शादी के वक्त खुशी से भी देता है और बहुत ज्यादा देता है तो वह समाज के सामने एक बुरा आदर्श पेश करता है ।

श्री जगदीसिंह बिष्ट क्या आपने इस वास्ते अमेंडमेण्ट दिया है ?

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल Lavish display of riches and jewellery should be banned अगर आप इस डैफिनिशन को कानून में से निकाल देते है तो हमारा उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो वालण्टियरी प्रेजेण्ट्स आउट आफ अफेक्शन दिये जाते है वे दिये जा सकते है और वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल की समाज की परिस्थिति को देखते हुए अगर एक्सप्लेनेशन रहता है तो इस कानून का सारा मतलब खत्म हो जाता है और यह कानून निकम्मा और बेजान हो जाता है क्योंकि इसका समाज पर साइकालाजिकल असर गलत पड़ता है । इस चीज द्वारा जनता में वातावरण पर मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत असर पड़ता है जो कि हम डालना नहीं चाहते है । जो लोग दहेज देना चाहते है उन लोगों को इसके द्वारा एक बहाना मिल जाता है । जैसा कि मैंने बतलाया कि समाज में आज मनोवृत्ति पाई जाती है कि अधिकांश लोग डावरी देते है, यदि मन से नहीं देना चाहते है तो मजबूरी से देते है, शर्म से देते है, इज्जत बचाने के लिये देते है, बिरादरी के डर से देते है । और जो डावरी लेने वाला होता है वह भी जरूर लेता है । तो ऐसी हालत में हमारा कानून ऐसा होना चाहिये कि उसकी एक-एक धारा, एक-एक पंक्ति और पंक्ति का एक-एक अक्षर ऐसा होना चाहिये कि जिससे दहेज के विरुद्ध वातावरण पैदा हो और लोगों का दहेज देने के लिये प्रोत्साहन न मिले ।

श्रीमन्, बहुत सोच विचार के बाद मेरे ख्याल से श्रीमती यशोदा रेड्डी को छोड़ कर—मेरे ख्याल से वे तो एक एक्सेप्शन है—तमाम बहिनें यह सोचती है कि एक्सप्लेनेशन नहीं रहना चाहिये । मैं जहां तक समझती हूं कि लोक सभा की जितनी बहिनें है और राज्य सभा की अधिकांश बहिनें इस मत की है कि एक्सप्लेनेशन नहीं रहना चाहिये । श्रीमन्, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इस विधेयक पर सबसे अधिक महत्व स्त्रियों के मत को देना चाहिये । यह खुशी की बात है कि हमारे भाई अधिकांश संख्या में हमारे साथ है । दहेज से जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वह स्त्री जाति ही है । स्त्री जाति को ही सबसे ज्यादा इस चीज से सफर करना पड़ता है । यह बात ठीक है कि जो लड़कियों के मा-बाप होते है उन्हें भी सफर करना पड़ता है लेकिन सबसे ज्यादा सफरिंग स्त्री जाति को ही करनी पड़ती है । मेरे ख्याल से हम स्त्रियों का जो मत है उसको यह सदन जरूर महत्व देगा ।

दूसरा संशोधन डिमाण्ड के सम्बन्ध में है और वह भी हमारे सामने विचार के लिये आया है । श्रीमन्, जैसा कि मैंने आप से कहा कि हमें लोक सभा के सारे संशोधन के ऊपर विचार करना है और नामंजूर करके उन्हें या तो स्वीकार करना है या रिजैक्ट करना है । जहां तक डिमाण्ड का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि हमारे सदन में जब डिमाण्ड का प्रश्न आया था तो श्री राजगोपाल नायडू ने एक प्रस्ताव रखा था उसे डिलीट करने के लिये । उस वक्त उन्होंने अपनी यह दलील पेश की थी कि इसके द्वारा हैरेसमेंट होगा । उनकी मुख्य दलील यह थी कि इसके द्वारा हैरेसमेंट होगा और डिमाण्ड करने वाले को पीनेलाइज्ड

[श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल]

नही करना चाहिये मैं यह कहना चाहती हूं और जैसा कि सदन मे कहा गया है, कि किसी भी कानून को मिसयूज करने से हैरेसमेंट हो सकता है । यह बात हर एक कानून पर लागू होती है । सिर्फ इसी कानून पर नही होती । आखिर अदालत मे कानून का फैसला होता है, अदालत मे विचार होता है और अदालत इस बात को देख सकती है कि हैरेसमेंट होता है या नही । हर एक कानून का मिसयूज हो सकता है और हैरेसमेंट हर एक कानून द्वारा हो सकता है । श्रीमन्, मै यह कहना चाहती हू और जैसा कि मैंने बतलाया है कि समाज के अन्दर दहेज की डिमाण्ड एक आर्गनाइज्ड रूप मे चल रही है । आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि आज हमारे समाज के अन्दर मैरिज मार्केट मे ब्रोकरो के आर्गनाइजेशन बने हुए है । वे लडकियो के माता-पिता के पास जाते है और कहते है कि आप किस तरह की शादी करना चाहते है । क्या एक हजार, दो हजार, तीन हजार, पाच हजार या दस हजार की शादी करना चाहते है ? जिस तरह की शादी करना चाहते है आप हमे बतला दे । इन आर्गनाइजेशन वालो के पास लडको और लडकियो की लिस्ट रहती है और वे एक तरह से लडकी और लडके वालो के बीच मे लिंक का काम करते है । तो आज हमारे सोसाइटी के अन्दर एक बडा आर्गनाइजेशन व्यवस्थित रूप मे डावरी की माग के लिये खडा किया हुआ है । इसलिये डिमाण्ड को हमे खत्म करना है ।

श्रीमन्, अगर इस कानून द्वारा दहेज देने वालो के ऊपर थोडी सख्ती भी होती है तो कोई परवाह की बात नही, सख्ती बेशक हो जाय । लेकिन उन पर ज्यादती नही होनी चाहिये जो दहेज नही दे सकते हैं और जो दहेज देने के लिये समाज और परिस्थितियो द्वारा मजबूर किये जाते है । तो मै आप से यह कहना चाहती हू कि जब आप दहेज देने और लेने वाले को पीनेलाइज कर रहे है तो डिमाण्ड करने वाले को भी पीनेलाइज करना चाहिये । डिमाण्ड तो सबसे पहला स्टेप है । बुराई तो पहले डिमाण्ड से ही शुरू होती है । यह सबसे पहला स्टेप है । इसलिये हम को किसी बुराई को उसके प्रारम्भ मे ही खत्म कर देना चाहिये । डिमाण्ड भी एक बुराई है और उसको मानने से कोई इकार नही कर सकता है । इसलिये मेरा कहना है कि डिमाण्ड करने वाले को पीनेलाइज किया जाना चाहिये ।

श्रीमन्, ये कुछ थोडे से शब्द है जो मैंने आपके सामने रखे और मुझे आशा है कि हमारा पूरा सदन और हमारे भाई हमारा साथ देगे । इस तरह से इस कानून को जितना ज्यादा इफैक्टिव, कारगर बनाया जा सके उतना बनाया जाना चाहिय । दहेज के खिलाफ जो यह बिल लाया जा रहा है, वह बहुत दिनो के बाद लाया जा रहा है और समाज के लिये बहुत आवश्यक समझ करके लाया जा रहा है । इस माग को पूरा करना इस विधेयक का फर्ज है । अगर इस विधेयक को इतना ढीला-ढाला बना देते है कि इसके पास होने के बाद भी दहेज की प्रथा बनी रहती है तो इस प्रकार के विधेयक लाने से कोई फायदा नही होगा । तो श्रीमन्, मै आप से विनम्र शब्दो मे यह कहना चाहती हू कि इन दो सशोधनो को जिस प्रकार मैंने आपके सामने रखा उसी प्रकार सदन पास करे । लोक सभा का जो डिमान्ड का सशोधन है उसको हम मान लेगे और जो एक्सप्लेनेशन का सशोधन है उसको रिजेक्ट कर देगे ।

3 P M.

श्री गोपीकृष्ण विजवर्गी (मध्य प्रदेश) उपसभापति महोदय, यह बहुत ही दिलचस्प विषय है और सभी लोग इसमे इंटरेस्टेड है । हिन्दुस्तान मे यह एक बहुत बडी समस्या है और शादी इतनी महगी हो गई है कि लोग उससे परेशान है । हम लोगो ने यहा बहुत से सामाजिक कानून पास किये है, लेकिन यह

बहुत ज़रूरी कानन हम अभी तक नहीं लाये थे। दहेज प्रथा के सम्बन्ध में यह कानून हमारे सामने आया है। इसका सभी स्वागत करते हैं, सारा देश स्वागत करता है।

दहेज प्रथा खराब है, इस विषय में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये यह कानून लाया गया है। दहेज प्रथा से माता-पिता वास्तव में बहुत ही कष्ट में पड़े हुये हैं। इसलिये इस बुराई को हमें दूर करना ही चाहिये। हम लोग किस तरह से कुरीतियों में फंसे हुये हैं, उसका यह एक नमूना है। एक तरह से मनुष्य खुद की बनाई हुई बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसलिए इस बेड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है।

जो यहां कहा गया कि हमें लोक सभा का केवल विरोध नहीं करना है, उससे मैं सहमत हूं। सिर्फ इसलिये कि यह लोक सभा से आया है, हम प्रेस्टीज के सवाल पर खड़े हो जायें, यह मुनासिब नहीं है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल फार्मल हैं। एक तो सन् बदलने की जो बात है कि १९५९ के स्थान पर १९६० कर दिया जाय, वह लाज़िमी है और हम को उसे मानना ही चाहिये। दूसरे इसमें "डाइरेक्टली आर इंडाइरेक्टली" का जो संशोधन किया गया है, वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इसमें जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, उससे भी कोई खास मकसद सिद्ध नहीं होता है। लोक सभा की इस बात को भी हमें मान लेना चाहिये। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि यह जो इसका क्लाज़ ४ है, उस पर हमें इंसिस्ट करना चाहिये। हमें इस संशोधन को तस्लीम नहीं करना चाहिये। डाउरी की मांग करना एक गुनाह है और इस गुनाह को हमें दंडनीय मानना चाहिये। असली बीमारी तो यही है। वैसे ही लूपहोल्स का सहारा लेकर लोग कह सकते हैं कि जो हम दे रहे हैं वह कन्सिडरेशन आफ मैरिज के रूप में नहीं है बल्कि उपहार के रूप में है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी पिछली वक्ता बहन ने बतलाया कि शादियां कराने में कुछ दलालों का भी हाथ होता है। मैं ला मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा क्लाज़ बढ़ाया जाना चाहिये जिससे जो बीच वाले लोग हैं उनको भी कुछ सजा दी जा सके। तो यह जो डिमाण्ड करने की बात है जब तक इसको आप बन्द नहीं करेंगे तब तक दहेज की प्रथा बन्द होने वाली नहीं है और यह कानून अमल में नहीं आयेगा। इसलिये अगर कानून को ज़ोरदार और ताकतवर बनाना है तो डिमांडिंग डाउरी को हमें ज़रूर ही दण्डनीय अपराध रखना चाहिये। इस तरह से मेरा यह कहना है कि लोक सभा की अधिकांश बातें मानने योग्य हैं, लेकिन क्लाज़ ४ में हमें इंसिस्ट करना चाहिये कि हमारा राज्य सभा का संशोधन कायम रहे। इस मामले में लोक सभा की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। यह मुनासिब बात है। अगर संयुक्त सेशन अपने आप होता है तो हो। हमें इसकी कोई खुशी नही है कि हम लोक सभा से झगड़ा करें। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन मजबूरन होता ही है तो जो कुछ वहां सर्वसम्मति से तय होगा उसी के अनुसार कानून बन जायगा। इसलिये मैं दफा ४ रखने के बारे में सहमत हूं। बाकी और लोक सभा के संशोधन हमें मान लेने चाहियें।

SHRI NAFISUL HASAN (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, although I am in entire agreement with the objects of this Bill and I am second to none in seeing that this system of dowry should go from our society, I am not optimistic about the success of this measure. In particular, I feel that in its application, it will fail to achieve the object for which it is being made. Whether the particular amount of money is paid as dowry in consideration of the marriage, will depend mostly on the evidence of the parents of the girl. The parents of the girl who get her married to a young man will be the last persons to come forward and give evidence to that effect in the court.

[Shri Nafisul Hasan.]

On the other hand, it will be open to any person who is inimical to the father of the girl to come forward and make allegations that he has paid dowry in connection with the marriage of that girl. In short, I feel that this measure may lead to a crop of litigation without in any way helping to abolish this dowry system which it is our intention to abolish. But I think that at the present moment we are only to consider the three amendments which we made in this Bill and which the other House has been unable to accept. The first amendment of ours with which they did not agree is the one in clause 2 which gives the definition of dowry, in which we had said:

> "that at page 1, at the end of line 9, after the word 'given' the words 'either directly or indirectly' be inserted;".

Before I take up this or any other amendment, I may also point out that we should not in any way be influenced, in considering these amendments, by considerations of our prestige; we have once made these amendments and the other House has not agreed to them and, therefore, we must not agree—I think that should be the last attitude which we should adopt. After all, the Members of the Lok Sabha and the Members of this House are the representatives of the people. If a particular measure is going to benefit the people, I have no doubt in my mind that we shall ultimately agree to that. If our insisting on any of these amendments results in a joint session, I think we ought to welcome it because when we sit together, we can have our say; they will have their own say. Either we agree with them or they agree with us. There is no question of prestige. Therefore, I should submit that our attitude should be that we should consider every amendment on its own merit.

The first amendment, as I have said, is with regard to the retention—I should now say addition—of the words 'directly or indirectly' to the Bill as it was originally passed by the Lok Sabha. I have no doubt in my mind that, since there are various means by which the objects of the Bill may be defeated, and it may be that an indirect method may be adopted and the dowry may be paid, I feel that the retention of these words is necessary, and we should insist on this amendment. Another reason why I submit so is this. Once we suggested this amendment, and if it goes away, and the courts are required to interpret this particular provision of this Bill when it becomes an Act, it will be very difficult for the courts to hold a particular dowry being paid in consideration of the marriage, if the payment is not direct, because once the words were added and subsequently they were thrown out by the Parliament it will be only the direct payment of dowry in a marriage that will be held to be an offence, and in its interpretation "dowry" will exclude indirect payment.

Our second amendment was with regard to the deletion of the Explanation I. Apart from the fact that payment of dowry may take the shape of presents, there is one other point which I shall submit is also to be taken into consideration. Among the Muslims everybody knows that the proposal goes from the parents of the boy to the parents of the girl, and not the other way, and although there is no *karardad* or settlement of dowry normally, I have come across the practice that whatever is given as dowry or presents, an exhibition is made of it, and to my mind, that is very objectionable. A person who is rich makes an exhibition of what he is giving to his daughter, and he gets what I should say: *"Wah, wah"*, and *"Khub kia"* for it normally. That is the approach. And his brother, who unfortunately happens to be poor, tries to copy him with the result that, because he cannot afford to give the same things and of high value to his daughter, he has to mortgage his house and to sell his other property

in order that he may not be looked down in society.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But there are regular demands also in the sister communities.

SHRI NAFISUL HASAN: It may be, but I have not come across a large number of cases in that respect. Anyway, apart from the fact that this payment may take the form of presents—it may take the form of money, ornaments, etc., as contained in the Explanation—and is objectionable, even the exhibition of that is not, in my opinion, good for our society. Therefore, I am of opinion that we should insist that this Explanation should also go, and when we insist on the retention of the words, "either directly or indirectly", this Explanation can have no meaning whatsoever. If we take out the words "either directly or indirectly", and allow this Explanation to remain, it will be very easy to carry on with dowry, and though it may be in the form of money, it may be called to be only presents. So our stand will be inconsistent if we insisted on the first amendment for keeping the words, "either directly or indirectly", and agreed to the retention of this Explanation I in clause 2.

As far as clause 4 is concerned, to my mind there will be no harm if we now agree to its retention, and my reason is that, actually, it is the demand for dowry which is most objectionable. Probably, we suggested the deletion of clause 4 because we thought that it may lead to unnecessary litigation. A person, the father of a boy, if he does not agree to marry his boy to another person's daughter, the daughter's father may go to court and make a false charge that he was demanding dowry from him, and therefore it was thought that this clause should go. For the matter of that, as I have said, the other provisions of the Bill are also open to that objection. It will be a matter of evidence of course, which the courts will decide. Their task will not be easy and it will be a very difficult one, but as we are going to pass the Bill in the present form, I think there will be no harm if we agreed to the retention of clause 4.

With these observations, Sir, I thank you for the opportunity you gave me.

श्रीमती कृष्णा कुमारी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आज हमारे सदन में डाउरी बिल पेश है । मैंने बहुत से आदमियों के भाषण सुने और इसको देखा, समझा । मेरी समझ में नहीं आता है कि डाउरी के नाम पर क्यो कोई सख्या रखी जाय । सख्या का रखना ही हानिकारक है अगर हम थोड़ी सी थोडी संख्या भी रखते है तो उसके अन्दर बहुत सी मागें पेश हो जाती हैं जो कि एक आदमी नही दे पाता है । जब आदमी उसकी पूर्ति नही कर पाता तो लडकियो का जीवन महाकष्टमय और दूभर हो जाता है । इसलिये मै चाहती हू कि डाउरी बिल में कोई भी सख्या नही रखी जाय । दो, चार मिसाले ऐसी है जिन्हे मै सदन के समक्ष रख सकती हू । कहा जाता है कि लडके और लड़कियां पढी लिखी हो, आपस में पसन्द करे और शादी करे तो डाउरी नहीं देनी पड़ती । मै तो कहती हू कि लड़की की शिक्षा में भी उतना ही खर्च होता है जितना कि लड़के की शिक्षा पर होता है लेकिन जब उन लडकियो के लिये पढ़ा-लिखा लडका खोजने चलते हैं तो लडके के माता-पिता इतनी कड़ी माग रखते हैं कि सुन कर ताज्जुब होता है । जितना उनकी पढ़ाई पर खर्च करते है वह तो है ही और उस पर उनका सूद दर सूद मांगते है, यहा तक कि तराजू के एक पलड़े पर लड़का बैठा दिया जाये और दूसरे पलडे पर जितना रुपया मागते है वह रख दिया जाय तो रुपये का ही वजन ज्यादा होगा । इससे आजकल बहुत सी लड़किया कुआरी रह रही है । उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि वहा पर तीन लडकिया है । उनके माता पिता नही है हालाकि उनके पिता

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

एक बहुत नामी वकील थे पर वह असमय में ही काल के गाल में चले गये और वे लडकिया रह गई । उनमे से एक लडकी एफ० ए० पास है, एक एन्ट्रेस पास है, एक बी० ए० फाइनल करके रुक गई है, पर उनकी शादिया नही हुई है क्योकि उनकी शादी के लिये जब उनके चाचा या उनके अडोसी-पड़ौसी वर की तलाश में चलते है तो वर की माग इतनी तेज होती है कि वे उतना रुपया दे नही पाते हैं । ऐसी हालत में मै नही समझ सकती कि हमारा भारतवर्ष किधर जा रहा है । जब हम स्वतत्र हो गये है तो इसके लिये भी हमें स्वतत्र हो जाना चाहिये । पर मै यह देख रही हू कि जब से भारत स्वतत्र हो गया है तब से हम वर की जितनी ही ज्यादा खोज करते है उतना ही ज्यादा पैसा हमे अपनी गाठ मे रखना पडता है । अगर हमारे पास पैसा नही है तो हमारी लडकियो की शादी होना दूभर हो जाता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जनता के हित के लिये, लडकियो की सुविधा के लिये, सब से उत्तम उपाय यही है कि डाउरी के नाम पर कोई भी सख्या नही रखी जाय । क्योकि सख्या रखने पर सख्या पूर्ति तो हमे करनी ही पडेगी । फिर क्या होता है कि जब हमारे समधी साहब जाते है तो कहते है कि हम देहरी ही नही डाकेगे, हमें देहराना दीजिए, हमको भतखई दीजिए । नाना प्रकार की बाते हमारे सामने आती है । चीजो की पूर्ति जब हम नही कर पाते तो हमारी लडकिया जब ससुराल जाती है तो उन्हे हमेशा कोई न कोई ताने दिये जाते है कि तुम्हारे पिता ने वादा किया था लिये ये चीजे देगे । दहेज के अलावा भी यह माग रहती है कि आप यह वायदा कीजिए कि लडका विलायत पढने जायगा और उसका खर्चा दोगे तब हम शादी करेगे । जहा कि इतनी बढी हुई माग है वहा कुछ भी प्रतिबन्ध न रख कर लोगो को मुसीबत मे डालना मै उचित नही समझती । यह तो उन लोगो का हाल है जो बहुत बडे इलाकेदार है, पूजीपति हैं, राजे-महाराजे है जिनके पास काफी रुपया है । लेकिन आज के समय में पब्लिक कहा से इतना दे सकती है जब कि जमीन की सीलिंग हो रही है, अपने बाल-बच्चो को खिलाने पिलाने के लिये ही लोग मुहताज हो रहे है, जमीनदारी रही नही और जमीन का बटवारा बहुत कम और सीमित रूप से हो रहा है । इसलिये इस रूप मे दहेज की प्रथा का रख कर यह समझ मे नही आता कि कैसे काम चलेगा, यह तो जनता के लिये भारस्वरूप हो जायेगा । कैसे लोग दे पायेगे ? वही दे पायेगे जिनके पास काफी पूजी है । मध्यम वर्ग के लोग आज भी बहुत दबे हुए है । वे अपने बाल-बच्चो को पढ़ा नही सकते, वे अपनी लडकियो को पूर्णत शिक्षा तो नही दे पाते, तो वे कहा से इतना रुपया पायेगे कि जो दहेज के लिये दे सकेगे ।

भारतवर्ष मे पहले दहेज प्रथा नही थी, दहेज प्रथा बीच मे चली है । भारतवर्ष मे ऐसे माता-पिता हमने नही देखे होगे जो कि अपनी लडकी को न दे । ऐसा हो ही नही सकता कि वह न दे । पर जहा पर माग का सवाल है वहा पर पूर्ति करना असभव हो जाता है । उसी से आदमी को यह समझना पडता है कि ये लडकिया हमारे जीवन का भार हो गईं । लडको के पैदा होने मे हम कितनी खुशिया मनाते है । लडकियो के पैदा होने मे हम खुशिया नही मनाते, मुह लटका कर बैठते है । किस लिये ? महज इसलिये कि हमे इसकी शादी के लिये कर्जा करना पडेगा, दहेज के लिये बहुत बडी मागे होगी और हम उनको पूरा नही कर पायेगे और लडकी का जीवन भी दूभर हो जायेगा । नही तो दुख करने की बात क्या है । बगैर स्त्री पुरुष के ससार चलता नही । हमारे भारतवर्ष मे लडकियो के जन्म से ही माता-पिता को यह चिन्ता पड जाती है । लडके दस भी हो तो उनको पर्वाह नही है, अपना कर लेगे,

खा लेगे, कमा लेगे यह खयाल रहता है । लेकिन दस लड़को के बाद अगर एक भी लड़की होती है तो उस दिन शायद ही खुशी में चिराग जले, यहीं मैंने देखा है । इसका कारण केवल यह है कि एक तो हम लोग यू ही बहुत पिछडे हुए है और ऊपर से नाना प्रकार के करो के भार से लदे हुए है । एक ऐसा वातावरण सदन के समक्ष उपस्थित हुआ कि जिसमे मैं सोचती हू कि हम लोगो को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये । हमारे बहुत से भाई यह सोचेगे कि यह हो जाने से हम लोगो को बहुत कुछ नुकसान पड़ेगा । पर मै कहती हू हर एक के यहा लड़कियां होगी और मैं खुद अपने सम्बन्ध मे यह सोचती हू कि मै भी एक लडकी हूं । मेरी शादी मे मेरे माता-पिता को कर्ज लेने के लिये कितना इधर उधर जाना पडा था, कितना उन्हे सकोच हुआ, कितना उनका अपमान हुआ, किस ढंग से उन्हे रुपया जुटाना पड़ा । हमारे भाई साहबान ज्यादातर कहते हैं कि दहेज तो स्त्रियां ही लेती है । मेरी समझ मे नही आता कि स्त्रिया कैसे दहेज लेती है । वे तो आड होती है, जैसे कि टट्टी की ओट से शिकार खेला जाता है । हमारे भाई साहबान को औरतो की आड़ में यह कहने का मौका होता है कि हम क्या करें साहब, मै तो राजी हूं, मै कुछ नही लेना चाहता पर बेटे की मां नही मानती । मां तो ढाल बना दी जाती है ।

श्री किशोरी राम : लड़की की सास खुद मांगती है । कहती है तुम यह नहीं लाये वह नही लाये ।

श्री [illegible]ी लीला देवी (हिमाचल प्रदेश) : परोक्ष रूप से पुरुष ही उनको सिखाते हैं ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : जब आप ही चाहते हैं तो उनका क्या कसूर है ? लड़के वाले कहते है कि हमने सोचा था कि दहेज नही लेगे लेकिन ये ये चीजे तो हमको मिलनी ही चाहिये थी । वे चाहते हैं कि बहू आ कर हमारी पूरी गृहस्थी नये ढग से जमा दे और सारा सामान मायके से लेकर आए और वश चले तो अपने खाने-पीने के लिये भी वही से लेकर चले । वे अपने यहा से कुछ नही करना चाहते । यही भावना है कि जो वे अपने घर मे भरते है । बार-बार पूछते हैं कि बहू अपने साथ क्या-क्या लाई है ? सच तो यह है कि कौन स्त्री ऐसी है जो अपने मायके से आई है और यह नही जानती कि मै कितनी मुसीबत से आई हू । तो वह कैसे ताना देगी यह बात मेरी समझ मे नही आयी ।

श्री किशोरी राम असल मे बात यह है कि अपने दिनो को वह भूल जाती है ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : हो सकता है वे भूल जाती है या भुलावे मे डाल दी जाती हैं ।

شریمتی انیس قدوائی (اُتر پردیش): ساس اپنے پتی کو خوش کرنا چاہتی ہے ۔

[†**श्रीमती अनीस किदवई** (उत्तर प्रदेश) : सास अपने पति को खुश करना चाहती है ।]

श्रीमती कृष्णा कुमारी : उसके ऊपर भी तो एक अकुश लगा हुआ है । अगर वह अपने पति के कहे अनुसार आचरण नही करती, कुछ थोड़ा डाट फटकार नही करती, तो उसके ऊपर भी लाठी टूटती है । औरत की पीठ इतनी मजबूत थोड़े ही होती है ।

श्री किशोरी राम : गलत बात है ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : इसीलिये तो मै कह रही हू कि अगर यह प्रथा नही रहेगी कि जो कुछ खुशी से मिल सके वह बहुत है तो इसी तरह के ताने दे-दे कर, कोस-कोस कर लड़की को परेशान करेंगे, उसको घर से भी निकाल सकते हैं । यही मेरे कहने

†[ ] Hindi transliteration.

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

का मतलब है । जब तक यह प्रथा हट नहीं जायेगी कि जबरदस्ती दहेज लिया जायेगा तब तक लडकी को ताने मिलते रहेगे और उसके जीवन को खतरा बना रहेगा, उसका जीवन दुखमय हो जायेगा । यहां तक कि उसे घर से निकाल दिया जाता है । चाहे कितना ही वह लोगो के पैर पकड़ कर कहे कि मै यहां पर नौकरानी का काम करके रहना चाहती हूं, मुझको रूखा-सूखा दे दीजिए, वह भी किसी को मजूर नही होता। ऐसी कई एक परिस्थितिया मेरे सामने आ गई है, कई एक जगह ऐसा मुझको यह देखने को मिला । इसलिये मै कहती हूं कि दहेज को इस बिल में बिल्कुल ही स्थान नही देना चाहिये और एक पैसा भी दहेज के नाम पर लेना निषिद्ध करना चाहिये । मेरा सुझाव तो यही है और आगे भी रहेगा कि जहां भी कोई दहेज के लिये रुपये की मांग करेगा तो लड़की की शादी होने के बाद कोई भी ऐसा माता पिता नही होगा कि जो एक बार सम्बन्ध जोड़ लेने के बाद अपनी लडकी का जीवन दूभर करने के लिय फिर कोर्ट मे दावा दायर करे जिससे और भी तमाशा हो---कुछ इधर से जाये, कुछ उधर से जाये । अगर वह मुकदमा दायर नही करता है तो बहुत संभव है कि यदि हमारा कोई दुश्मन है, हममे थोडा भी नाराज है वह सोचेगा चलो, एक पख लगा कर कोर्ट में इस मामले को ले चलो । गलत सही बाते वहां भी की जायेगी और वह बेचारी लड़की यू ही बिना विष दिये मारी जायगी । इस वास्ते उसको कुढ़ा-कुढ़ा कर मार डालना ठीक नही है । दहेज की प्रथा को किसी भी रूप मे रखने से लड़कियों के लिये एक समस्या उत्पन्न हो जायगी । भारतवर्ष में ऐसा कोई भी आदमी नही होगा जो अपनी बेटी को, अपनी लड़की को अपनी हैसियत के मुताबिक न देता हो । जब वह अपनी लड़की किसी को दान देगा तो यह सोचेगा कि मै खाली हाथ अपनी लड़की को कैसे भेजूगा, वह कुछ न कुछ खुशी से अपनी लड़की को अवश्य देगा, लडकी के लिये अपनी हैसियत के अनुसार कपड़ा, जेवर, बर्तन और हर एक चीज जहा तक सामर्थ्य होती है देता ही है । मां तो जब से लड़की पैदा होती है तब से उन उन चीजों को जिनकी लडकी को जरूरत पडती है, थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा करने लगती है । तो शादी के वक्त क्यो नही देंगे ? जहा मांग होती है वहां पर मुश्किल होती है । मांग ही एक कष्टकर चीज है ।

श्री किशोरी राम : सास भी भूल जाती है ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : हां, ससुर भी भूल जाता है । सास इस बात को नही भूलती है । वह भी मां का हृदय रखती है और उसके दिल में भी लडकी के प्रति स्नेह होता है । यह दूसरी बात है कि वह किसी दबाव में आकर या किसी दूसरे कारणवश भूल जाय लेकिन हर एक मा के दिल मे लड़की के प्रति स्नेह और दया की भावना बनी रहती है । सास के ऊपर कभी अकुश लगा दिये जाते है जिसकी वजह से वह यह बात भूल जाती है ।

श्री किशोरी राम : ससुर के बदले सास ही लड़की को ताना देती है और अपने दिन भूल जाती है कि किसी दिन वह भी लड़की थी ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : दहेज के लिए कभी ऐसा नही हो सकता है । मै भी एक सास हू और मै जानती हू कि सास का हृदय कैसा होता है और कोई भी सास दहेज के लिए लड़की को नही सताती है । एक दो घटनाएं हो सकती है मगर आप इस बात को सब के ऊपर लागू नही कर सकते है । मै यह बात नही मान सकती कि स्त्री के हृदय से दया की भावना चली जायेगी । हर एक आदमी यह समझता है कि किसी के दान से वह बड़ा आदमी नहीं बन सकता है । हर आदमी के दिल मे यह भाव आता है कि उसकी भी लड़की की शादी होगी तो उस के भी दहेज

देना होगा । हमने देखा है कि ब्राह्मण जो सब लोगों से दान लेता है फिर भी फटे हुए कपड़े पहिने रहता है । लेकिन इसके साथ ही जब हम कन्यादान करते है तो उस समय कन्या को नया घर बसाने के लिए कुछ तो देगे ही । ऐसा कोई मातापिता नही होगा जो कन्यादान के समय कुछ न दे । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कन्यादान कोई माता पिता करता है तो वह अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देता ही है । इसी तरह से जब कोई गोदान करता है तो वह भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ दान करता ही है । हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसाले है कि जो ज्यादा रुपया पैसा वाला है वह अपनी लड़की को ज्यादा रुपया दहेज में देता है और कभी कभी ऐसी चीज भी देखने को आती है कि लड़का द्वाराचार करने के लिए तैयार नही होता और उस समय पांच हजार और मोटरगाड़ी की मांग करता है । इसका नतीजा यह होता है और हमने देखा कि बारातें लडकी के यहा से वापस चली गई और शादी नही हुई । अगर उस समय लड़की योग्य होती है, पढी लिखी होती है, समझदार होती तो कहती कि मै इस तरह के बंधनो में शादी करने के लिए तैयार नही हूं, ऐसे घर जाने के लिए तैयार नही हूं जहां तरह तरह की माग की जाती है । आज एक माग की जायेगी तो कल दूसरी माग की जायेगी । जिन लोगों को रुपये की भूख होती है वे यह समझते है कि अगर हमे इतना रुपया मिल जायेगा तो हमारी इज्जत बढ़ जायेगी । उन लोगों का रुपये से ही जीवन का आदर्श बनता और बिगड़ता है । मनुष्य को अपने जीवन का एक ध्येय बना लेना चाहिये । रुपये पैसे से मनुष्य का ध्येय नही बन सकता है । रुपया तो आता-जाता रहता है । मै पार्लियामेट की मैम्बर हूं और काफी रुपया खर्च करती हू । एक हाथ से रुपया आता है और दूसरे हाथ से खर्च हो जाता है । लेकिन हमारा यह फर्ज होना चहिये कि हम हमेशा ही अपनी गरीब जनता को ध्यान में रख कर विचार करे । जीवन का कोई न कोई ध्येय अवश्य होना चाहिये और उसी के मुताबिक व्यवहार करना चाहिये ।

यह भी देखने में आया है कि लड़के वाला यह कहता है कि मैंने लड़के की पढाई में इतना रुपया खर्च किया है इसलिए लडकी वाले को दहेज मे इतना रुपया देना चाहिये । वह शादी के समय तरह-तरह की शर्त लगाता है । लेकिन वह यह नही सोचना कि आखिर लड़की को भी उसके माता-पिता ने शिक्षा दी है और उसमे भी उसका रुपया खर्च हुआ होगा । क्या माता-पिताओं का यह कर्त्तव्य नही है कि वे अपने लड़के या लड़की को शिक्षा दे ? अगर है तो क्यों इस तरह की मांग की जाती है ? इस तरह से दोनों के दिल में बदले की भावना बैठ जाती है जो कि अच्छी नही है । अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा हो, बी० ए० या एम० ए० हो, अगर वह किसी लड़की से शादी करता है तो उसके बदले मै काफी दहेज मागता है । चाहे वह खाने के लिए मोहताज हो, उसका घरबार न हो लेकिन वह यह नही सोचता कि शादी करके लडकी को कहा पर रखेगा । आज हम सारे समाज मे यही हालत देख रहे है हिन्दुस्तान मे आजादी के बाद यह चीज ज्यादा देखने में आ रही है कि लोग दहेज में तरह-तरह की मागे पेश करते है । आज लोगो मे एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नही रह गई है । रुपया पैसा ही सबसे ज्यादा कीमती चीज़ समझी जाने लगी है ।

मै आप से यह कहना चाहती हूं कि आप जब इस तरह का कानून बना रहे है और उसमे यह बात रखते है कि इतनी आय वाला इतना रुपया दहेज मे दे सकता है या इतना रुपया शादी के वक्त दिया जा सकता है तो इसकी आड़ मे कई तरह के शिकार खेले जायेंगे । जिनकी आय दो हजार रुपया है वह तो दहेज मे रुपया या सामान दे सकता है लेकिन जिसकी इतनी आय नहीं है, जिस के पास दस एकड़ भी जमीन नहीं है और अगर उसकी लड़की शादी के योग्य हुई तो वह क्या चोरी करेगा ? यह बात सोचने की है ।

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

सदन में जो डाउरी बिल लाया जा रहा है उसके बारे मे मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश मे कितने आदमी पूजीपति है और कितने नही है । पूजीपति के लिये यह ठीक है कि वह शादी के वक्त मोटर साइकिल भी दे सकता है, साइकिल भी दे सकता है, और हावई जहाज भी दे सकता है । पर जो बेचारे दिन रात मे, जाडे मे, एक कपडे मे चार आदमी गुजर करते हैं, एक रजाई मे चार आदमी घुस कर रहते है, वे अपने दामाद को इतना रुपया कहां से दे पायेगे ? दो हजार रुपया देने का मतलब यह हुआ कि दो हजार रुपया मांग लेने पर लड़के के घर वाले यह कहेगे कि आपने जोड़ा जामा के लिये कपड़ा नही दिया, पगड़ी नही दी, सूटबूट का कपड़ा नही दिया, आपने थाली नही दी, कटोरी नही दी जो कि चांदी की होनी चाहिये, सुपारी आप सोने की लाइये, नारियल आप सोने का लाइये, यह हमारे यहां दस्तूर है । इस प्रकार दो हजार रुपये पाकेट मे गये और दो हजार के ऊपर चार हजार का सामान दीजिये । वे पहले ही पूछते है कि इतना तो आप दहेज देगे और हमारे यहां पान का पत्ता नही चढ़ता है, हमारे यहां सोने का पान चढ़ता है, हमारे यहां सोने की मछलियां शुभ मानी जाती है, इन चीजों को आप बनवाईये, और साथ में कम से कम पांच थान कपड़े के चाहिये । अब आप देखिये कि कपड़े का आज कल क्या भाव हो रहा है । मैंने सुना था कि कपड़े के भाव कम हो रहे है, लेकिन जब मै लेने जाती हू तो ऐसा मालूम होता है कि भाव ज्यादा बढ़ गये हैं । इसके अतिरिक्त जो नमक छः पैसे सेर था वह दो आने सेर हो रहा है । इस प्रकार आये दिन जब खाने की गुजाइस नही होती है तो दामाद को देने के लिये इतना पैसा कहां से आये ।

भारतवर्ष की जन संख्या के अनुसार एक आदमी की जो सालाना औसत आमदनी होती है उसमे वह क्या कपड़ा पहन सकता है क्या खा सकता है, क्या पी सकता है । दहेज तो उन लोगो के लिये है जो पूजीपति है । जो कोई भी कानून बनता है उसका असर हमेशा मध्यम वर्ग के लोगो पर पडता है । उसका असर कभी पूजीपतियो पर नही पडता है । कोई टैक्स लगे तो उसका भी असर पूजीपतियों पर नही पडता है बल्कि मध्यम वर्ग के लोगो पर पड़ता है । डाउरी का असर भी मध्यम वर्ग के लोगो पर पडता है । पूजीपति बैठे हस रहे होगे कि अच्छा है, बहुत देने से बचे, पांच हजार के बजाय दो हजार ही सही । लेकिन जिन के पास दो सौ रुपये देने को नही है वे दो हजार कहां से देगे ? इस लिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि डाउरी बिल मे हमे कोई सख्या रखनी ही नहीं चाहिये । साथ ही साथ हमे वह क्लाज भी नहीं रखना चाहिये कि अगर कोई खुशी से दे तो दूसरी बात है । इससे होगा यह कि ऊपर से दो हजार रुपये की मांग की जायगी और गुप्त ढग से यह कहा जायगा कि पांच हजार रुपये आप को देने पड़ेगे और फिर मजबूरन उसे कर्ज लेकर उतना रुपया देना पडेगा क्यो कि उसे अपनी लड़की की शादी करनी है । और जब कोई लड़की का पिता रुपया दे देता है तो वह कैसे जा कर अदालत मे यह कहेगा कि हा, हमने दिया है । एक आदमी जिस लड़के को अपनी लडकी देता है उससे उसका आत्मतीयता का सम्बन्ध हो जाता है और वह घर का एक प्राणी बन जाता है, अपना बच्चा बन जाता है । अब अगर वह आदमी उस लडके के माता पिता पर चार्ज लगाता है, उनको जेल करवाता है या सजा करवाता है, तो उस लड़के के हृदय मे क्या बीतेगी ? वह उस लड़को के साथ कैसे प्रेम व्यवहार रखेगा ? इसका परिणाम यह होगा कि उस आदमी ने अपनी लड़की के लिये घर बेच कर जो कुछ किया वह सब बेकार हो जायेगा । उस लडकी का जीना दूभर हो जायेगा । उसको चारो तरफ से ताने सुनने की मिलेगे और बहुत सी

कठिनाइया उठानी पड जायेगी । इसके साथ साथ जैसा कि कहा गया है कि यदि उस लडकी के माता पिता कुछ न करे तो दूसरा कोई सम्बन्धी भी कोर्ट मे कार्यवाही कर सकता है । इससे यह होगा कि यदि किसी सम्बन्धी की उससे कुछ लडाई है या कुछ तकलीफ है या कोई जिश है तो वह भी कार्यवाही कर देगा । ऐसे अनेको झूठे मामले उठ खडे होगे और ऐसे मामलो का तसफिया करना असभव हो जायेगा । इस से जनता मे बहुत ही असतोष फैलेगा । जनता हमेशा शाति की ओर ज्यादा ध्यान देती है । वह इतने उलझे हुये कानून के बीच पडने से बहुत घबडाती है । दूसरा सवाल यह भी है कि डाउरी का मामला कोई घस का मामला है नही कि चलो भाई, उसे घूस मे पकडवाना है, मजिस्ट्रेट की मुहर लगवा ली और कह दिया कि फला जगह घूस देनी है, आप उसे चेक कर लीजियेगा और वह चैक कर लिया जाता है । ऐसी बाते डाउरी के मामले मे नही हो सकती हैं । जब शादी होती है तो एक अपना सम्बन्ध हो जाता है । जिस लडके को हम अपनी लडकी देते हैं उसकी इज्जत और हमारी इज्जत बराबर हो जाती है । हमारा सदा यह ख्याल रहता है कि हमे चाहे कुछ तकलीफ हो जाये पर हमारी लडकी और दामाद को कोई तकलीफ न हो । यह भावना सब के हृदय मे आ जाती है, तब वहा पर कहा से यह सवाल उठेगा कि अगर वह कुछ ज्यादा मागेगे तो हम उनके ऊपर मुकदमा दायर करेगे । कौन सा ऐसा माता पिता होगा जो यह करने के लिये तैयार होगा ? इन सब बातो पर विचार कर के, मनन कर के, समझ कर के कोई कानून पास करना उत्तम होता है ।

अगर आज हम इस कानून मे कोई खामी रख देते हैं तो आगे चल कर यह हमारी जनता के पैरो मे बाधक बन सकता है । ऐसी दशा मे उनकी श्रद्धा हम लोगो के ऊपर से उठ जाती है और वे ही समझते है कि पार्लियामेट के मेम्बर हम लोगो के विषय मे कोई भी विचार नही करते और न कुछ सोचते है और न कुछ समझते है । इस लिये मै चाहती हू कि जो यह बिल आप पास कर रहे है, इस मे से यह बात बिल्कुल ही निकाल दी जाय कि डाउरी मे कुछ भी दिया जा सकता है । अपनी इच्छा के मुताबिक कोई आदमी अपनी लडकी को चाहे जो दे दे, वह ठीक है, पर जहा पर माग का सवाल है वह माग का सवाल मेरी समझ मे उचित नही मालूम पडता । इसके दो कारण है । एक तो आदमी उतना दे नही पाता, इस लिये उसे झूठ कहना पडता है । मै समझती हू कि हमे कोई ऐसी चीज नही रखनी चाहिये जिससे लोगो को साधारण सी बात के लिये झूठ बोलना पडे । यो तो शादी विवाह मे बहुत झूठ चलता है और उसी का यह परिणाम ह ता है कि हमारी बहनो और लडकियो को तकलीफ सहनी पडती है । यह बात भी है कि अगर झूठ न बोला जाय तो शादी होने मे बडी मुश्किल पड़ती है । गर्ज मे पडकर आदमी को झूठ बोलना पडता है क्यो कि ऐसी चीजो की माग की जाती है जो वह पूरी नही कर सकता । उससे कहा जाता है कि फला चीज फला समय मे आपको देनी पडेगी । उसमे रुपये ही की माग नही रहती है, यह भी माग रहती है कि हमारे साथ बारात मे इतने लोग आयेगे, फर्स्ट क्लास के इतने आयेगे, सैकेड क्लास के इतने आयेगे और थर्ड क्लास के इतने आयेगे और इनके साथ इतने ढोलकिया और बजनिया भी आयेगे और उनके लिये समय समय की खाने की लिस्ट भी वर की तरफ से तैयार मिलती है कि आपको इतना नाश्ता देना पडेगा, इतना खाना देना पडेगा । अब आप देखिये कि रुपये की जो माग रहती है वह किसी ढग से कर्ज लेकर पूरी भी की जा सकती है पर जो खाने वाली माग है उसका पूरा करना बहुत कठिन है । जो छः पैसे सेर नमक मिलता था वह अब दो आने सेर मिल ा है और ₹ दूध चार आने सेर मिलता

[श्रीमती कृष्ण कुमारी]

था, वह अब एक रुपया सेर मिलता है, ऐसी दशा मे हम बारात को खिलाने मे ही तबाह हो जायेगे । अगर बारात को हम ठीक खिलाते नही है तब भी बदनामी होती है कि बाराती आये, हमारे दामाद साहब के नाते रिश्तेदार आये, और हम उनको इज्जत के साथ भोजन भी नही दे सके । इस तरह दहेज से चौगुना हमे खान पान पर लगाना पडता है । इसके लिए कही भी कानून कायदे के अन्तर्गत नही आया है कि बारात कितनी कम हो । मै चाहती हूँ कि बारात भी सीमित हो । दहेज के नाम पर एक कौडी भी न रहे और यह भी कर दिया जाय कि शादियो मे बारात भी सीमित ही जाय जिसमे उनके खाने पीने का प्रबन्ध तो आदमी कर सके । वह कहते है कि दो सौ आदमियो के लिये चारपाई रखना। बाबा, चारपाई दो सौ आदमियो के लिये कहा से आये ? कितनी मुसीबत पडती है। हमने कई एक शादियो मे देखा है और अपने यहा देखा है मेरे एक लडकी थी , एक पैसा भी दहेज मे नही दिया . न उन लोगो ने मागा और न लडके का लिया तब भी आप ताज्जुब मानेगे कि खिलाने पिलाने और इधर उधर करने मे ४ हजार रुपया मुझे खर्च करना पडा । आप बताइये एक साधारण आदमी के लिये, एक काश्तकार के लिये कितना कठिन है । आज मै पार्लियामेट की मेम्बर हू और अगर आज इतना रुपया लग भी जाय तो एक साल की कमाई है लेकिन उस वक्त कितनी कठिनाई मुझे हुई थी, मै ही जानती हू । चार गाव से चार पाइया मगवाई और वे चार पाइया भी टूटी । अपने ऊपर एक बडा अहसान लोगो का लादा कि साहब बरातियो के पड़ने के लिये चारपाई गई थी और टूट गई । कही कही तो बराती उसकी जो अदवाइन होती है वह भी ले जाते है । बाराती यह सोच कर नही जाते है कि हम किसी के घर मे मान जा रहे है वह तो चाहते है वहा जो कुछ हो वह बटोर लावे । चारपाई मे जो बॉध की अदवाइन लगी रहती है उसको खोल कर जाते समय अपना सामान बाध कर ले जाते है । अब बताइये ऐसी सूरत मे आप इसके लिये कुछ कर रहे है या इसको यो ही छोड रहे है । अगर इसको यो ही छोडा जाता है तो और भी तबालत सिर पर आती है क्योकि इधर तो जमीन की सीलिंग है, हमे उतने ही मे अपनी गृहस्थी चलानी है, उधर लडको की शिक्षा है, लडकियो की शिक्षा है, शादी है, व्याह है और उसके लिये भी यहा २ हजार रुपये आप रख रहे है, इसके बाद भतखौनी का रुपया है, डेहरी डकौनी का रुपया है, समधी के मिलाप का रुपया है और यह सब रुपया ऊपर से ही आयेगा तो फिर इससे फायदा क्या है । इससे पब्लिक यो ही तबाह हो कर मर रही है और आगे और भी तबाह हो जायगी । अभी तो बहुत सी जगह माग नही है मगर जब यह कानून पास हो जायगा और २ हजार वाली बात आप रख देते है तो हमारे मध्यम वर्ग के लोग इतने पिस जायेगे कि वे कभी उभर नही सकेगे । कारण यह है कि अभी तो हाथ पाव जोड कर अपनी हैसियत के अनुसार शादी विवाह कर लेते है लेकिन जब आपका यह २ हजार रुपयो वाला परवाना पास होगा तो उस समय सब कहेगे कि बाबा पार्लियामेट मे पास हो गया है और अब आप २ हजार से कम देगे तो हम शादी करने के लिये तैयार नही है । तो यह कानून का जो मुख्य अश है वह तो बेचारे गरीबो के खिलाफ है, अमीरो के खिलाफ नही है । जो कानून बनाते हे उसमे हमेशा यह देखना चाहिये कि इससे गरीबो को कितना फायदा हो रहा है । जहा पर गरीबो के फायदे का सवाल हो वहा पर हम लोगो को हमेशा बहुत गम्भीरता से सोच कर चलना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उनकी क्षति न होने पाये । वे खद इतने पिस गये है कि बच्चो के लालन पालन करने मे और उनकी शिक्षा दीक्षा मे बड़ी मुसीबत आ रही है । जो मध्यम

वर्ग के लोग हैं उनसे तो अच्छे हमारे हरिजन भाई हैं । उनके बच्चों की शिक्षा के लिये, उनके रहने के लिये, उनके वस्त्र के लिये भी सरकार प्रबन्ध कर रही है पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिये, जिनके बच्चों को पूरा खाना नहीं मिलता है, जिनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही हैं और जिनके बच्चों के पहिनने के लिये कपड़ा नहीं हो पा रहा है उनके लिये न तो सरकार की तरफ से कुछ है और न घर की तरफ से ही कुछ हो रहा हैं कि लोग उनको शिक्षा दे सकें, कपड़ा बनवा सकें। तो ऐसी हालत में वे कैसे इतना दहेज दे पायेंगे । तो विचारने का जो प्रश्न है वह यह है । यह नहीं हैं कि हम पूंजीपतियों के लिये चिल्ला रहे हैं । मैं इतनी देर से जो कह रही हूं वह अपने उन गरीब भाइयों के लिये कह रही हूं जो कि मध्यम श्रेणी में हैं, जिन्होंने कि कभी दो हजार रुपया एकत्रित किया हुआ देखा नहीं है । तो वे कैसे चलेंगे और कैसे यह दो हजार रुपया दे पायेंगे ?

तो मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करती हूं कि इस चीज को बिल से बिल्कुल ही निकाल दिया जाय और इसमें कोई भी रकम डाउरी के लिये, चाहे वह जो भी हो, न रखी जाये । जब कोई डाउरी ही नहीं रहेगी तब तो कोई बात ही नहीं उठती है कि हम अदालत करें, अर्जी करें या हम किसी के ऊपर कोई दावा दायर करें कि इसने फलां फलां के सामने इतना रुपया लिया है । मेरा कहना है कि कहीं ये बातें भी कभी सामने आती हैं ? जो मांगेगा वह क्या ऐसा बुद्धू होगा कि वह यह नहीं जानेगा कि हम यह मांग रहे हैं और गलत मांग रहे हैं और कभी इसके लिये दावा दायर हो सकता है । तो वह तो एक दूसरे ही ढंग से मांगने की कोशिश करेगा और लेगा जिससे कि कोई सबूत या सफाई नहीं दे सके कि इसने यह लिया है ।

इसमें मुख्य विषय जो है, वास्तविक विचारणीय विषय जो हैं वह यह हैं कि कोई भी बिल केवल पास होने से ही लागू नहीं होता । वह तब तक लागू नहीं होता जब तक कि हम हृदय परिवर्तन नहीं करते । मुख्य चीज जो है वह हृदय परिवर्तन है । हम सब स्त्री पुरुष दोनों मिल कर अपना हृदय परिवर्तन करें तब तो यह मसला बहुत साधारण और अच्छे ढंग से चल सकता है । हम लोग बराबर इसके लिये तत्परता से काम करें । हर एक भाई को यह चाहिये कि अपने भाइयों से इस चीज के लिये सलाह मशविरा करे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिये कि इतनी दहेज प्रथा चले और हम लोगों के लिये भी उचित और जरूरी है कि इसके लिये अपनी बहनों से विनती करें और उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें ।

सारदा एक्ट पास हुआ पर मैं कहती हूं कि वह लागू कहां हुआ और कितना हुआ ? बिल पास होने से कुछ नहीं होता है । होता तब है जब कि हम उस पर अमल करते हैं, उसके ही अनुसार हम चलते हैं । आज भी गांव में देखने को मिलता है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे बच्चियों की शादी होती है । हमने इसके लिये तो कोई केस होते नहीं देखा । कहीं अन्यत्र हुआ हो तो हुआ हो परन्तु रींवा में हमने ऐसा कोई केस होते हुए नहीं देखा । लड़के और लड़कियों की शादी ३ साल की उम्र में हो जाती हैं और ये शादियां हमारे हरिजन भाई करते हैं क्योंकि उनके साढ़े तीन खून माफ हैं । अगर कोई बीच का आदमी करे, ब्राह्मण या क्षत्री या कायस्थ करे तो शायद और लोग भी खींचा मारने लगें लेकिन आज तक सारदा एक्ट का कोई कानून इन लोगों पर लागू नहीं हुआ । तो क्या सारदा एक्ट से हम हृदय परिवर्तन कर सके । वे लोग तो उसी तरह पुरानी लकीर के फकीर हैं । जो पहले थे वही अब हैं । कहते है कि हमारे पूर्वजों ने ६ मास के लड़के और लड़की की सगाई तय कर दी है तो हम तो तीन साल की उम्र के अन्दर करते हैं । हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को, जो कुछ होगा वह भोग लेंगे । जहां पर ये समस्यायें

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

आ जाती है वहा पर यदि ऐसा बिल पास करते है तो उससे फायदा क्या है, लने वाले तो लेगे ही ।

बहुत से भाई साहबानो की यह राय है कि लडकिया ही, मा ही ऐसा करती हैं । मां तो हमेशा दोषी है । मां के पेट से अच्छा लड़का लडकी भी पैदा होते है, अच्छी प्रकृति के भी होते है, खराब प्रकृति के भी होते है । मैं यह कहती हू कि वह दोषी हो सकती है परंतु मैं यह नही कह सकती कि दहेज न ले आने की वजह से वह एक बहू को बराबर कोस कोस कर मारेगी । इसलिये यह होता है कि पिता यह कहता है कि हमारा लड़का विलायत भेज दिया जाय और तब लड़के का विचार यह होता है कि हमारा ससुर बहुत रुपये वाला है वह हमे विलायत पढ़ने के लिये भेज देगे और हम वहा जा कर आराम से पढ़ेगे और सैर-सपाटा करेगे । इस तरह से उन की माग बढ़ जाती है और जब उस माग की पूर्ति नही होती तो वे ही बच्चे घातक हो जाते है अपनी स्त्री के प्रति । कई एक मिसाल हमे ऐसी भी मिली है कि जहा सास नही होती और लड़का ही अपनी स्त्री के खिलाफ हो जाता है और उसे नाना प्रकार के कष्ट देता है कि जा कर अपनी मा के यहा से इतना रुपया ले आओ ।

4 P.M.

श्री किशोरी राम : लडकी की सास अपनी बेटी के अलावा पतोहू को भी बहू बेटी मानती ही नही ।

श्री उपसभापति : आप दहेज के बारे मे काफी बोल चुकी हैं । सिर्फ तीन सुझाव जो है उन के बारे में कह दीजिये ।

SHRI N. M. LINGAM (Madras): Let her continue, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is going on at random.

श्रीमती कृष्णा कुमारी मेरे इतना बोलने का मतलब केवल यही था उपसभापति महोदय, कि जो इस मे क्लाज़ रखे गये हैं वे मेरे समझ मे ठीक नही है । यह जो बात रखी गई है कि अगर कोई ज्यादा डावरी लेता है तो लडकी की तरफ से कोई संबधी व्यक्ति दावा दायर कर सकता है । तो यह केस पुट अप कौन करेगा कि उन्हो ने इतना पैसा लिया है ? तो डिमान्ड जो है वह डिमाड बिल्कुल नही होनी चाहिये यह मेरा कहना है । मैं उस के खिलाफ हू । मै दोनो चीजो के खिलाफ हू, न तो डिमान्ड यह होनी चाहिये, न डिमान्ड वह होनी चाहिये । मैं यह कह रही थी कि जहां दहेज लिया जायगा उस के लिये केस को कौन पुट आप करेगा । मैं कैसे कहूगी कि मेरा समधी मुझ से इतना रुपया देने को कह रहा है और तभी वह अपने बेटे की शादी करेगा । दूसरे, अगर हमारा कोई सबधित व्यक्ति इस केस को ले कर अदालत में जाता है तो मैं अदालत के सामने कभी यह मजूर नही करूगी शायद कोई दूसरा आदमी भी इस को मजूर नही करेगा । इसलिय मैं कहती हू कि यह डिमान्ड वाली जो बात है इसको इस मे नही रहना चाहिये और यह एक साधारण सी बात है । जिस की इच्छा होगी वह अपने आप स्वेच्छा से लडकी या लड़के को दे देगा । आखिर लडके और लड़कियो की शिक्षा का भार उन के माता पिताओ पर होता है । वे दोनों को जब शिक्षा दे रहे है, दोनो शिक्षित है, दोनो अपने पैरो के बल खडे हो कर चले । पर जहां पर डिमान्ड वाली बात आती है, वह हमे बिल्कुल पसन्द नही है और यह हमारी जनता के लिये आगे चल कर घातक होगी और उस से मुल्क मे एक बड़ी भारी तबाही आ जायगी क्योंकि जो शादियां वगैर डिमान्ड पूरा किये हुए होंगी, उन मे लड़कियो का जीवन दूभर हो जायगा । ऐसी हालत में यह भी हो सकता है कि वे ग़लत रास्ता भी अपना सकती हैं । इसलिये मैं चाहती हू कि अगर अच्छी तरह से, सहूलियत के साथ, यह चीज सामने आ जाय और निभ जाय तो सब से उत्तम होगा नही तो अगर डिमान्ड की बात आयेगी तो उस का

भार हमारी जनता उठाने में असमर्थ हो जायगी और यह चीज चल नहीं सकती । मेरा यही सुझाव है ।

स्वामी केशवानन्द (राजस्थान) : उप-सभापति जी, मैं भी इस संबंध में दो चार शब्द कहना चाहता हूं ।

माननीय सदस्या बहिन ने आप के सामने बहुत लम्बी चौड़ी जो बातें कही हैं, अगर वास्तव में देखा जाय तो ये सारी परिस्थिति ऐसी ही है । उनके कहने का मतलब एक ही है कि जो दहेज की प्रथा के अनुसार हमारे देश में बहुत सी बातें होती हैं उन को यहां बैठे हुए अनुभवी लोग, बड़ी उम्र के लोग हमेशा देखते हैं । दहेज नहीं मिलने से, जैसा आप ने कहा है, न जाने कितनी बहुत सी घटनायें देखने में आती हैं, मुकदमे चलते हैं, किस प्रकार से हत्यायें होती है । ये तमाम बाते हमारे देखने में हमेशा आती है । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दहेज के नाम से कोई ऐसी अनुचित चीज हमारे सामने आये, यह नही होना चाहिये । जैसा कि और देशो के अन्दर होता है कि वहां विवाह की रस्म में कोई खास रुपये पैसे का सवाल नही होता, कोई खास बारात नही ले जानी होती है और शादी पूरी हो जाती है उसी प्रकार हमारे देश मे भी होना चाहिये । इतना दहेज है, थोड़ा दहेज है इस किस्म की ऐसी वैसी बातो से हमारे जो दूसरे आम लोग हैं उन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है । इतना जेवर दो, इतना दहेज दो और इतना रुपया हो, ऐसी वैसी बातें बिल्कुल नही होनी चाहिये । हमारी बहिन ने जो बात कही है मैं उस का समर्थन करता हूं । वे दर्दभरी बातें है और गांवों में और शहरो में रहने वाले सभी लोग समझते है । यदि मैं उदाहरण दू तो बहुत समय लग जायगा । किस प्रकार लड़कियां अपने माता पिताओं को, अपने शरीर में मिट्टी का तेल छिड़क कर और उस में आग लगा कर अपने को मौत के घाट उतार कर, उन ो दुखी बना गई है यह किसी से िप्रा नहीं है । सब के सब इस चीज से उदास हैं । इस कानून का सारे देश के साथ संबंध है और इसलिये हमें सोच विचार कर इस प्रश्न को हल करना चाहिये । इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं ।

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : उप-सभापति महोदय, डावरी बिल के बारे में काफी बहस पहले हो चुकी है । उन सब बातों का दोहराना कुछ मुनासिब नहीं है । राज्य सभा में जिस वक्त यह बिल पहले पेश था उस वक्त भी मेरा मत यह था कि धारा ४ इससे नहीं निकाली जानी चाहिये । लेकिन वह निकाल दी गई । लोक-सभा ने, मैं समझता हूं, बहुत ही मुनासिब समझा है कि उसको कायम रखा जाय और मैं इस मत का हूं कि धारा ४ अवश्य ही इसमें कायम रहनी चाहिये । अगर धारा ४ इस बिल से निकाल दी जाती है तो फिर मेरे खयाल में इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती कि जिससे इस बिल की आवश्यकता हो । मेरा तो यह निश्चित मत है कि जब तक डंडे से कड़ा प्रतिबन्ध इस डावरी पर नहीं होगा तब तक यह जो हमारे यहां बहुत ही बुरी प्रथा है वह किसी भी प्रकार से हल नही होगी । डावरी के कितने बुरे परिणाम हमेशा ही रहे हैं, उनके विषय में विस्तार से कहने की आवश्यकता नही है । लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि यह धारा अवश्य ही इसमें रहनी चाहिये और माता पिता को, वालदैन को, पेरेन्ट्स को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि जब जायदाद में लड़कियो को हिस्सा मिलना हम तय कर चुके हैं तब निश्चय ही उनके घर में जो बहू आती है वह अपने पिता की कुछ न कुछ सम्पत्ति अवश्य लायेगी ।

शाह मुहम्मद उमेर (बिहार) : आपने इन्फोर्स कहा किया है ?

श्री राम सहाय इन्फोर्स तो कर रहे है । निश्चय होगा, इसमे शुबहा नही है । लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब हम इस प्रकार का उत्तराधिकार पुत्रियो को दे चुके है फिर वालदैन का या पेरेन्ट्स का डावरी पर इन्सिस्ट करना, यह एक बिल्कुल बेमानी सी बात होती है । अगर हम इसमे कुछ थोडा सा भी लूप होल रहने दे या थीडी सी भी राहत रखे तो फिर यह डावरी सिस्टम कभी भी समाप्त होने का नही है । इस बारे मे बहुत सी बाते कही जाती है कि ऐसा बिल समाज मे लाने की आवश्यकता नही है या नही लाया जाना चाहिये या ऐसे कडे प्रतिबन्ध नही रहने चाहिये । लेकिन मेरा तो यह निश्चित मत है कि जब तक सख्त से सख्त इस बारे मे कायदे नही बनेगे और उनको इम्पलीमेंट नही करेगे तब तक इस प्रकार की रोक होना सभव नही है । अभी हमारी बहिन ने जो बहुत सी बाते आपके सामने रखी वे आपने सुनी होगी । तमाम खानदान के खानदान ऐसी शादियो मे बर्बाद हो जाते है, पीढियो तक उनका कर्जा अदा नही होता । जब ऐसी शक्ल है तब मै समझता हू कि इसमे अवश्य ही ऐसी बाते होनी चाहिये जो हम ज्यादा से ज्यादा कर सके ।

एक और बात मै अर्ज करना चाहता हू कि जो यह "डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली" का सेक्शन २ मे समावेश किया गया था वह मै समझता हू कि मुनासिब है । उसे रहने दिया जाय और यह इसलिये कि उससे इस बिल को ताकत मिलती है और इसको इन्फोर्स करने मे बहुत सहूलियत होगी और जो लोग येन केन प्रकारेण डाउरी लेने की चेष्टा करते है वे अवश्य ही इससे बाज आयेगे ।

तो मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि राज्य सभा द्वारा धारा २ मे डाइरेक्टली एड इन्डाइरेक्टली के जो शब्द जोडे गये है वे कायम रहने चाहिये । लोक-सभा ने धारा ४ मे जो तजवीज रखी है उसको बदस्तूर कायम रहना चाहिये । इसके बाद जो और एमेडमेंट है वे बहुत ज्यादा महत्व के नही है और मै उन पर ज्यादा जोर नही देना चाहता हू ।

SHRIMATI T NALLAMUTHU RAMAMURTI (Madras) Sir, I wish to point out that this enactment for prohibition of dowry was long awaited by all the women social workers in this country, and those of the workers who had been in contact with the disabilities, with the hardships, with the tortures that had been made possible due to the insistence upon the giving of dowry at the time of marriage or before marriage and long after also for various purposes, with the cruelty that had been made possible in regard to the young girls before marriage and even after marriage, know that pages of history could be written on that subject Therefore, I have stood up to speak in favour of this Bill coming into force as soon as possible It has been long awaited, and it is time that we did something, to expedite its passage into law

It has been said that there is this flaw in this Bill here that there is another flaw there, that therefore it may not be operative, that it will be futile to enforce it, that when it is put into practice nothing would be forthcoming, that dowries will continue, that people will demand it, and all that They said the same thing with regard to the Child Marriage Restraint Act, at the time when the abolition of child marriage was mooted They say the same thing with regard to every piece of reform and progressive legislation Any enactment of Parliament has force, and at least it will act as a deterrent It will make people point out to the law that is there and therefore compel people or make people not to demand dowries

With regard to the various clauses in this Bill which had been accepted by this House lately and which had gone to the Lok Sabha and had come back with certain amendments from

the Lok Sabha, I feel we should stick to our stand, Sir, not because of the prestige of this House or the other House, not because we want to merely adhere to things as we have said those things before, but rather because we have gone into the measure very very carefully, clause by clause, and the Minister of Law had seen eye to eye with us when we did say these things and he agreed with many of the clauses that we had recommended. Having done that, the Bill goes to the Lok Sabha and some other recommendations are made, amendments are made by the Lok Sabha, the Bill comes back and we are asked to go back on what we have decided. I do not stand on any prestige at all. It is just that we have studied this Bill very very carefully and have gone into the various implications of it. Having considered it very deeply, we have suggested certain clauses to be deleted. As our friends had been pointing out, we wanted the words "directly or indirectly" at the end of line 9 on page 1, and that for a very definite purpose in the sense that it is not only the direct giving of dowry that should be abolished but also the indirect way of inducing dowry to be given.

Sir, there are many cases which I can quote, but I do not want to stand in the way of other speakers coming forward to express their views. There are very many hardships that have been related, how at the last moment—and in the picture houses you have seen films brought out to show this—just before the *tali* was going to be tied some Rs. 1000 was less in the amount of dowry that had to be given and the whole function had to be called off with the result that the girl was ruined and had to suffer lifelong after that, because for a girl having gone to the length of the wedding ceremony in the prime of her life to be cast out as not wanted at the wedding pandal is a tragedy—we know what a tremendous shock it gives to her. Many a case there had been in the past that had ended in suicides of young girls. The case of Snehalata is there, and I may tell you that there are many Snehalatas that have suffered like that. Therefore, I will not go into these details.

When educated men come forward for marriage, they say "My father demanded it, my mother demanded it, I did not want it", and so on. I know of a case in South India where the girl was beautiful and everything had been arranged,, furniture, dress, everything. Ultimately, the gentleman wanted a car, a particular make of car which cost a great deal. The father of the girl was hesitating as to how he could find all that money. Then also he was an educated man and he said to himself, "What, one by one I have supplied all these tremendous series or lists of things which would cost more than Rs. 1 lakh. Tomorrow is the ceremony and at the last moment he comes and demands a car." He got a little put out as to how long he could stand this insult, and he said, "No car. The car will be given after the birth of the first child." Immediately the whole thing was scrapped. For the wedding ceremony, cards had been printed and thousands of rupees had been spent on pandals and other preparations, but the whole thing was scrapped, and this poor girl was pointed to by society as a girl who had been rejected by a bridegroom. There are many cases like this in our society. It is not only the women who are perpetrators of such wrongs in demanding dowry. They say that the mothers-in-law want those things. The fathers-in-law also want them. It is a fact that the whole society has to be educated. You might ask "why this Bill should be brought, why legislate, you have to prepare society to have a social conscience before any law is passed. This will be only on the Statute Book, it will not be put into practice." We have to do both the things together. While the law is there the society can also be educated and I can guarantee that many of the social workers in the field will take it up and disseminate this knowledge

[Shrimati T. Nallamuthu Ramamurti]

that there is such an Act and, therefore, beware "You can refuse dowry hereafter." Therefore, I plead with all the strength in me that the clauses that were moved and accepted by the Minister in this House should be still retained.

Now, I want to say something in regard to this Explanation I on page 2, which says:

> "For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties;".

This should be deleted and rightly so, because we do not want to introduce by the backdoor what we have abolished by the front-door, as it were, dowry will take many forms. The whole idea is bartering girls for money. Our girls are not bulls, they are not sheep, they are not dumb-driven animals. The girl herself is worth her weight in gold for her character, for her qualities. This is Indian womanhood. It is a sacrilege committed on Indian womanhood when you ask that she should bring lucre with her. Therefore, we stoutly said that this must be eliminated.

Then, at the same page 2, clause 4—penalty for demanding dowry—should also go, because what is the idea of saying, "Don't ask, but take dowry"? We want to do away with the very idea or thought of taking this dowry money at the time of marriage. Therefore, we want to purify the society; we want to raise the women in status in regard to this question and therefore I think it is necessary that all these clauses should be retained as we have done originally and nothing should be gone back on simply because the Lok Sabha had thought it fit to bring in certain amendments. There are many more things but I will not go into details of all of them and I would say that I strongly plead and demand that this law should come into force as it had been passed by the Rajya Sabha. I would like to have a joint session if it comes to that, and if we do not agree, when we do sit together, I hope the Lok Sabha would see its way to the acceptance of the wise contribution made by the Rajya Sabha. Not that I say it is the Upper House or the Lower House but I do think that this is a House of wisdom, not that I deny the wisdom of the Lok Sabha. Lok Sabha is a Sabha of the people, is a wonderful body and there people have said what they wanted to say. But when we here with great experience, with tried-out experience, in the various fields, especially in this particular field, have done this and when above all women have come forth in large numbers like this from all parts of India and brought to bear on this Bill their hard-gained experience in this particular field of dowry system which has played havoc on the lives of many young girls, I feel that our brothers and sisters in the Lok Sabha, when we have a joint session, would agree with us and see that this enactment is made possible, as soon as possible. It has been a long-awaited measure by the bleeding hearts of many a young girl in this country. Mothers and grandmothers have pawned their houses, their belongings and their everything in order to see these girls happy and still at the last moment, something is wanting and therefore the girl is rejected. I do plead that this Bill should be enacted in the original form in which we have recommended it from this House. I would plead before the Members of the Lok Sabha, when there is a joint session, and also the Law Minister, that they should see our point of view and accept our point of view *in toto*.

I would only say one thing more and that is, let not any section of this House feel that anything will be done

to trespass on the rights of any Member here or any Member there. True, today the society has progressed, education has advanced, and we do see the spectacle of young girls and young boys standing up and saying, "I do not want a sing e pie; I want only you." There are many instances where they have become chastened in their lives and outlook and have gone a long way of progress in their lifetime. They have swum together merrily and happily wherever they might have lived and set an example to so many others. I would like to see a society of happy contented couples like that soon. But still the old cankerous custom continues, a custom that was in primordial days when we wanted protection for our girls, and why should we continue that dead old custom again in these days of enlightenment, of progress, and when the women of India sitting in large numbers as these in this Parliament have shown the torch, the way, to the rest of the world to live amicably together, to build a happy home and hearth and to promulgate peace in the hearts of their children so that the world at large would stand up for peace and for the promotion of harmony and bliss. Therefore, with all the zeal that is possible in me, I want to say that this Bill, as it has been passed in this House, should be accepted and I crave the acceptance of that from the Members of the Lok Sabha in case there is a joint session.

SHRI J. S. BISHT: Mr. Deputy Chairman, Sir, I think we are all agreed in this country that the atrocious custom of dowry should somehow come to an end.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): No, no, we are not agreed. The House has not agreed.

SHRI J. S. BISHT: On this point that it is a very bad custom and that this bad custom must come to an end. Personally, Sir, I come from a part of the country where this evil custom does not exist at all.

DR. R. B. GOUR: Assam?

SHRI J. S. BISHT: No, the Kumaon Hills. The custom of dowry does not exist there, has never existed and will never exist and we do not therefore realise the hardships that are caused except what reports we read in the newspapers. At the other end of this country stands the State from which the hon. the Law Minister comes, that is Bengal, where the custom is prevalent and where at least among the *bhadralog* it is very acute and it has resulted in many girls committing suicide and in this House I learnt from our friend, Shri Jugal Kishore, that in Punjab this custom is also very bad. In certain parts of U.P. and Bihar, especially among certain communities, the custom is prevalent. The custom is indeed bad; it must go. But we must also know that we are not the only people who are suffering from the evils of this bad custom. As far as I know, in that part of Europe which is called Latin-Europe, Italy, France and Spain, there too the custom prevails, not compulsory . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: No, no.

SHRI J. S. BISHT: The parents decide among themselves about it to some measure.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Very negligible; if at all, very negligible.

SHRI J. S. BISHT: Maybe negligible, but still it is there somewhere. My friend is making a very dogmatic statement about certain things about which the books state otherwise. Going to a city there you do not know what the customs are; looking at one particular city or one particular country you do not know what real forces are working underground. Therefore, I said that this custom . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: The hon. Member is wrong, because I have made enquiries into the customs and habits of men there. That is why I am saying the thing. It is not merely by looking at a city that I say so.

SHRI J. S. BISHT: Very well. In any case . . .

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND (Madhya Pradesh): We are legislating against a custom, to do away with this custom. Objection to this legislation should have been taken earlier and it is too late at this stage of the Bill to take objection to the Bill as such. If objection on this ground were to be taken, it should have been taken at the stage the Bill was introduced.

SHRI J. S. BISHT: I am quite unable to follow my hon. friend, Dr. Seeta Parmanand, why she is so touchy about it. I have only said . . .

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: It is not a question of being touchy about it. It is a bad custom and it should go out of our society.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE) in the Chair.]

DR. R. B. GOUR: Mr. Vice-Chairman, after passing this Bill into an Act the Indian youth will not take dowry even if he is marrying an Italian girl.

SHRI J. S. BISHT: Now, as I was saying, the custom is bad and the custom should go. On that we are agreed. But mere sentiment does not serve any purpose. It is said that businessmen and lawyers are hard-headed, and they should be, because they face the realities of life in all its manifestations and in all its nakedness. I am a lawyer and therefore I am looking at it from the point of view of law courts, how a particular provision will be interpreted in the law courts, how the lawyers will interpret it. It is no use saying we are passing a good legislation. It cannot be just for our satisfaction when tomorrow nothing will come out of it. See what clause 4 says:

> "If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly," . . .

Now, I have not yet come across any law book giving the definition of, "indirectly", and how it is to be proved in a court of law—

> "If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be," . . .

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: There is no Minister here when such important things go on.

DR. R. B. GOUR: Mr. Naskar is there; he belongs to the same State to which the Law Minister belongs.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: At least he should be sitting in the Law Minister's seat.

SHRI J. S. BISHT: As I was quoting, Sir:

> "If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months," . . .

Now, let us look at it from the purely practical point of view. Supposing I want to marry my daughter and I find that there is a boy who is eligible, who is healthy and is well placed and I am anxious to marry my daughter to that boy. And supposing the parent of the boy during the negotiations also demand something by way of dowry, and then supposing I give it in my anxiety to marry my daughter to that boy, is it conceivable that I will go to a law court and report that he is demanding dowry from me? Will any practical man do it, I ask? Will any responsible parent who has got a daughter and is anxious about the future of his daughter miss this opportunity, let slip the boy of his choice out of his hands, and go and prosecute the fellow and send him to undergo six months' imprisonment? (*Interruption.*) Maybe, some lunatic may do it,

but no sane man who has a daughter will. I can tell you no sane man who has a daughter to marry will play with his daughter's future like that. Supposing I actually give some dowry and marry my daughter to a boy, shall I go later on to file a suit against him? Is it conceivable that I will jeopardise the whole future of my daughter?

SHRI JASWANT SINGH: And break the home.

SHRI J. S. BISHT: And break the home for the sake of this Bill? Then who will come forward to do it? It may happen this way. Supposing I have a daughter to marry and the fellow turns down my offer. Then disgruntled I may go and make a report. Then how is the court going to judge whether my complaint is *bona fide* or *mala fide*? (*Interruptions.*) Mr. Vice-Chairman, I am not yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Order, order.

SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI: Let me tell you; I can cite many cases where the demand of a dowry could not be met and therefore the girls had been married to persons who had never demanded it. Our society is not such a vacuum that it is filled only with persons demanding dowries.

SHRI J. S. BISHT: Quite right, but one swallow does not make a summer. One case does not make good law. After all it is the legal maxim that hard cases make bad law. We are making law for the generality of men. We are legislating for eight crore families in India. Taking five people to a family there are eight crore families and we are legislating for them. Now, how many cases will you get, tell me? Now, if any man goes to a court of law to file such a suit, it will be only out of malice or *mala fides*—never out of *bona fides*. Nobody wants to go to a court of law.

(*Interruptions.*)

I am not yielding. The Muslims do not want their law to be touched by anybody and yet they want to interfere in this matter. I object to it.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Please examine it; it applies to all.

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA (Bihar): How?

SHRI AKBAR ALI KHAN: Probably, you have not read the Bill. It applies to all.

SHRI J. S. BISHT: But do you have any dowry?

श्री अकबर अली खान : हमारे यहां इतनी डाउरी है कि मुसीबत है ।

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA: If you read clause 2 it says:

> " . . . but does not include dower or *mahr* in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies."

So, how does the hon. Member say that it applies to all?

SHRI AKBAR ALI KHAN: Dower is a different thing from dowry. Dower is *mahr*.

SHRI J. S. BISHT: Dower means *mahr*.

SHRI AKBAR ALI KHAN: The bridegroom has to pay, not the bride.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Order, order.

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA: It says:

> "does not include persons to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies.

SHRI J. S. BISHT: The clause says:

> "....at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or *mahr* in

[Shri J. S. Bisht.]

the case of persons to whom the Muslim Personnal Law (*Shariat*) applies."

Then why have it? Omit it. Move an amendment to that effect.

(*Interruptions.*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Order, order.

SHRI J. S. BISHT: Now this says:

"Dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given, either directly or indirectly, by one party to a marriage to the other party to the marriage;" . . .

Whether it is by the bridegroom to the bride or by the bride to the bridegroom, it comes to the same thing; it makes no difference.

SHRI AKBAR ALI KHAN: If my learned friend permits me I can explain it. Dower is to be paid at the time of divorce or after the death of the husband. That is dower.

SHAH MOHAMAD UMAIR: It has to be paid on the spot.

SHRI AKBAR ALI KHAN: I would just explain. Dower is an amount which at the time of the contract it is stipulated that it is to be paid by the husband to the wife, and in 99·9 recurring cases it is paid after the death or at the time of divorce. There are cases of prompt dower and deferred dower, and it is possible that somebody may say: "Well, I paid it immediately." But that is not at all practicable. I do not know about the whole country but in my part of the country this dowry, even in Muslim families, is causing a great havoc. There are families who cannot afford to pay and yet they have been made to pay, and the same misery, as it has been narrated by my friend there, is there even in these families. It is a matter of fact. You may accept it or not.

SHRI J. S. BISHT: Sir, . . .

SHAH MOHAMAD UMAIR: With your permission I will say one word because the question of Muslim dower has come in. My lawyer friend has been interpreting it in a way which is not correct. That is not the real definition of dower in the Muslim law. In Saudi Arabia, no marriage can take place unless the dower is paid in cash.

DR. R. B. GOUR: In 80 per cent. of the cases, they do not pay at all.

SHRI J. S. BISHT: I say that there should be no exception at all. Whatever be its form, there would be no harm. In any case, we are only considering the evil of dowry as it is prevalent mostly among Hindus now. The question is that this House has deleted clause 4 and very rightly. What is sought to be done is that this clause 4 is to be reinserted in the Bill according to the Lok Sabha.

DR. R. B. GOUR: The Lok Sabha is right also.

SHRI J. S. BISHT: I am arguing that. That is the clause which says about demand. We at that time omitted, for the cogent reason, that it was almost impossible to bring any man to book and it would cause malicious prosecutions, harassments and blackmail. There is no doubt about it.

As far as the operative part of it is concerned, clause 3 says:

"If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both."

This is quite right. We agree and that is that form in which we sent it. We made it more stringent by adding "directly or indirectly" which they want to omit. I, therefore, quite agree

with the Member who preceded me that the Bill, as passed by the Rajya Sabha, is the correct thing to do. These new insertions by the Lok Sabha are really wrong and that is why I was emphasising that in a court of law the word "demands" in clause 4 will create too much trouble. It should go.

As for the points raised by Shrimati Lakhanpal that in a marriage some people make a great display of wealth and make big presents and that it should be stopped, that is entirely a different matter as to whether it should be allowed or not but I feel that it was not either in the original Bill or in the Bill as modified by the Rajya Sabha or as it has come back from the Lok Sabha. If any display is to be stopped, let it be stopped. I have nothing to do with that but it has no relevance so far as this Bill is concerned.

So far as daughter's marriage is concerned, I think my friend said that 99 per cent. but I say 99·9 per cent. among the middle-class Hindus will not allow their daughters to go without some presents. You may call that present or anything but they will always be given that. The difficulty does not arise because of dowry. I want to state an opinion which has nothing to do with this Bill but which pertains to the basic thing. The trouble arises mostly among the educated middle-classes and it is not on account of dowry either. It is because the eligible bachelors are few in number and there is a race for them. How does this dowry come in? It is because there are so many girls to be married to eligible bachelors. Here is an officer in Government, maybe an I.A.S., or an I.P.S. or a Commissioned Officer or a Class I officer in the Central or State Services etc. There the difficulty comes in. Everybody is anxious to have the future of his daughter assured by having her married to somebody whose future is assured There the parents themselves outbid each other and it is not bridegroom or the bride who does it. I want to marry my daughter and he wants to marry his daughter and then whisperings go on.

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore): There are brokers also.

SHRI J. S. BISHT: Yes. That is where the trouble comes in, Most people who get angry about it do so because they are anxious to have very good eligible bachelors but they want to have the marriage for nothing. That is the trouble. Whatever law you pass is not going to solve it so easily. In practical life the race for eligible bachelors is very keen, not only in this country but in every country.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Maharashtra): Do you mean to say that the parents of the bridegroom are passive agents? It is only because of the impact of various offers that these things are happening?

SHRI J. S. BISHT: They may not be passive agents. Nobody wants to forego an opportunity to make some money. It is not God's gift that is so easily obtained. If a brilliant boy happens to be born in a family, probably the parents have devoted their lifetime in looking after him and his education. If they are anxious, they are only human beings with flesh and blood.

DR. R. B. GOUR: The daughters' parents also have done all that.

SHRI J. S. BISHT: I say that this is the background. We must have some solution for it and the only solution will come when we people get educated, when the parents have no hand in the marriages, that is to say, when there is love-marriage, that is, when the bridegroom selects his bride. That will be the only solution. Till the society rises to that level where there is such freedom when adults can marry of their own free will without regard to the opinions of their parents, these will go on. But in the vast country side today this is unthinkable. No bride will be allowed to mix with

[Shri J. S. Bisht.]

any bridegroom. The girl will not be allowed to mix with boys because the opinion in the countryside is so rigid. Even the Sarada Act is a dead letter. Only three years back there were 10,000 marriages in Rajasthan in defiance of that Act.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: Dowry-takers will be law-breakers and they will be dismissed from Government service.

SHRI J. S. BISHT: Taking bribe is a very severe offence but has bribery stopped?

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: To some extent.

SHRI J. S. BISHT: The only solution will be when there is advanced public opinion, when the people themselves realise that this evil must go. Then they will realise it and stop it. At that time the boys and girls who are to be married will not care for the consent of their parents and they will go out and marry themselves. I hope that solution will be coming with the rise of education when we have universal compulsory primary education and higher education as well. I hope public opinion also shif's upwards and all that takes a little time but we are always thinking in Parliament of short-cuts. We think of legislation and legislation as if the moment it is legislated, the whole thing is solved. Not at all. The thing remains as it is because legislation is the last step to be thought of just as in registration of a document. Before a contract is executed or registered, before a sale deed is registered, there is a long series of negotiations. Before the Indo-Pakistan treaty on Canal Waters was signed there were a series of negotiations when everything was finalised and then the treaty was signed.

SHRIMATI YASHODA REDDY: It is the educated boys who demand the dowry.

SHRI J. S. BISHT: When public opinion is sufficiently advanced, when 40 or 50 per cent. of the people are prepared to enforce it, then you legislate. Then it will be successful. If only 10 or 20 per cent. are prepared and 80 per cent. are not prepared, it becomes a dead letter. But in so far as this Bill is concerned . . .

SHRIMATI YASHODA REDDY: You say that education is the first step but unfortunately today it is the educated boys that demand higher prices. If one is a B.A., he demands Rs. 25,000, if he is an M.A., it is Rs. 30,000, if he is an officer, he demands Rs. 50,000. The price rises with education.

SHRI J. S. BISHT: The difficulty is that the girls are running after educated boys. It is the little dowry that tilts the balance.

SHRIMATI YASHODA REDDY: It is the intrinsic worth of the boys and girls that should tilt the balance, not the motives or incentives.

SHRI J. S. BISHT: I say to the hon. Lady Member with due respect that I entirely agree that this system should go. I come from a part of India where it is not observed. I consider it a shame but how does it happen? It is because public opinion there has been against this system. It is going on all right. Without any legislation it is 100 per cent. successful there. It does not need any legislation. But in those communities where it is prevalent, until public opinion rises to that level, mere legislation will not help you very much. In any case, as we are determined to have a law, let us have the law as passed by the Rajya Sabha here.

श्री शीलभद्र याजी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि डाउरी प्राहिबिशन बिल पर काफी बहस हो चुकी है । शुरू में हमारे जुगल किशोर जी ने इस बिल को सदन के सामने रखा था और उस वक्त से मैं समझता हूं इस पर काफी बहस हो चुकी है और लोग यह महसूस करने लगे हैं कि डाउरी निषेध बिल का होना नितान्त आवश्यक है । हमारे देश में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं

जो पुराने खयाल के हैं। ये लोग यह समझते हैं हिन्दुस्तान की सभ्यता में डाउरी लेना एक कर्तव्य है और उसी के आधार पर इस चीज की मुखालिफत करते हैं। वे लोग इस डाउरी बिल के बाल की खाल खींचते हैं। वे लोग साफ-साफ तो कुछ नहीं कहते हैं मगर तरह तरह की खामियां निकालते हैं कि इस बिल में से यह धारा निकाल दी जानी चाहिये और वह हिस्सा निकाल देना चाहिये।

हमारे देश में इतने कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी जुर्म होते ही रहते हैं, हत्यायें होती ही रहती हैं। लोग कहते हैं कि शारदा एक्ट पास हो गया लेकिन उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के कानूनों से समाज में असर होता है। इसी तरह से दहेज के लिये जो कानून बनाया जा रहा है उसका भी समाज में कुछ न कुछ असर अवश्य होगा। मैंने जब से होश संभाला है तब से देखते आ रहा हूं कि हजारों परिवार वाले इस दहेज की प्रथा से बरबाद हो गये हैं। जहां तक मिडिल क्लास वालों का सम्बन्ध है, जिस घर में चार भाई और चार बहनें हैं, वहां पर भाई दहेज देने की वजह से भीख मांगता है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, और यू० पी० में ज्यादा दहेज लेने की प्रथा है और इससे इन प्रान्तों के बहुत से गरीब परिवार वाले उजड़ गये हैं।

एक माननीय सदस्य : गुजरात में भी है।

श्री शीलभद्र याजी : यहां तो चालीस, पचास हजार और एक लाख में लड़के बिकते हैं लेकिन और प्रान्तों में इतना सौदा नहीं होता होगा। इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि आजादी के बाद देश में तरह तरह के कानून बनाये गये, समाज में जितनी कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिये सरकार की ओर से कानून बनाये गये, मगर इस बुराई की ओर सरकार का और इस पार्लियामेंट का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। यह बड़े खेद की बात है।

यह जो बिल सिलेक्ट कमेटी से होकर लोक-सभा में गया और लोक-सभा द्वारा जो संशोधन सुझाये गये हैं और इस बिल का जो मंशा है, उसका सब लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ राज्य सभा में जिस रूप में यह बिल लाया गया है और लोक-सभा ने जो संशोधन इसमें किये हैं उन सब पर हम को विचार करना है। लोक-सभा में जो प्रतिनिधि हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं, राज्य सभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वे स्टेट असेम्बलीज द्वारा चुन कर आते हैं। अगर हम यह कहें कि हम सीजन्ड हैं तो इससे लोक-सभा के सदस्य बिगड़ जायेंगे। उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में जो बातें हमारे सामने रखी हैं उनके बारे में हमें आरग्यूमेंट देकर और वाजिब दलील देकर समझाना चाहिये। यह कहना नहीं चाहिये कि वे कम होशियार है और हम ज्यादा होशियार हैं। यह भी नहीं कहा जाना चाहिये कि दुनिया भर के जितने अपर चेम्बर हैं उनके सदस्य प्रोग्रेसिव होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रोग्रेसिव पार्टी के ख्याल से, सोशलिस्टिक विचारों से सब प्रोग्रेसिव होते हैं। यहां हिन्दुस्तान में एक नई बात हो गई है। लोक-सभा के जो सदस्य हैं उनको सब से ज्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिये। लेकिन इस बिल में वे जो प्रोविजिन लाये हैं उसके लिये हमें आरग्यूमेंट देकर समझाना चाहिये। हमने डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली शब्दों का प्रयोग किया था, अगर इसे बिल में शब्द नहीं रखे जाते हैं तो यह बिल निरर्थक साबित होगा। जितनी बार यह बिल सदन में आयेगा उनका असर जनता में अवश्य होगा और वह समझने लगेगी कि दहेज देना एक बुरी बात है। यदि कानून की व्याख्या करें और यह देखें तो इससे उसकी जान ही निकल जाती है। लोक-सभा द्वारा बिल के स्पष्टीकरण में जो यह

[श्री शीलभद्र याजी]

शर्त लगा दी गई है कि शादी के वक्त कैश दिया जाना चाहिये, ओर्नामेंट दिये जाने चाहियें, अगर ये सब बातें कबूल कर ली जाती हैं तो इस बिल की जान ही निकल जाती है ।

इस बिल में हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाये ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो । यह बिल भी इसी रूप में आया है जिससे जनता यह महसूस करे कि समाज में दहेज की जो बुराई है वह जल्द से जल्द दूर हो जायेगी । सब लोग यह जानते हैं कि दहेज देने और लेने से नुकसान होता है । इस चीज़ को यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है । आज जरूरत इस बात की है कि यह बिल जल्द से जल्द दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना चाहिये ताकि जनता को इसका तत्काल फायदा हो । हमें लोक-सभा को कहना चाहिये कि इस बिल में जो डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली शब्द छोड़ दिये गये हैं उससे बहुत नुकसान होगा । इसमें शादी के वक्त कैश या अर्नामेंट देने की जो बात रखी गई है उससे भी जनता को नुकसान पहुचने वाला है । इसलिये हमारी कोशिश यह होनी चाहिये उनसे यह कहें कि अगर हम इस चीज़ को मंजूर करते हैं तो इस बिल की जान निकल जायेगी ।

जो सदस्य पुराने खयालात के हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात करके इस बिल की मुखालिफत करना चाहते हैं वे व्यर्थ की बात करते हैं । दहेज देना, तिलक देना, रुपया देना और दूसरी चीजें देना क्या ये सब मौलिक अधिकार में आता है ? ये सब गप्प बातें हैं । हमने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया और अब कल-कारखानों को अपने अधिकार में लेंगे । ये राजा-महाराजा तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात कह कर हर चीज़ में रुकावट डालना चाहते थे ।

मेरा तो यह कहना है कि अगर समाज से इस बुराई को दूर करना है तो हमारे पंडित नेहरू जी ने बम्बई में एक भाषण में यह कहा था कि अगर डाउरी सिस्टम को हमेशा के लिए समाज से खत्म करना है तो लड़के और लड़कियों में प्रेम की बात होनी चाहिये, मुहब्बत की बात होनी चाहिये । अगर इस तरह से लड़के और लड़कियों में प्रेम द्वारा शादी हुई तो यह दहेज की प्रथा सदा के लिये निर्मूल हो सकती है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Are you likely to take more time?

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Yes, Sir.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Then you may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Tuesday the 29th November, 1960.

GMGIPND—RS—688 RS—(J. C. No. 13222)—14-12-60—550.